


सितम्बर 2024

मूल्य : ₹ 22



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित



**ग्रामीण भारत
के लिए बजट
2024-25**





हमारी पत्रिकाएँ

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएँ मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
<https://bharatkosh.gov.in/Product/Product>

सदस्यता दें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है- संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- फोन : 011-24367453 (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत पत्रिका भाषा में भेजें।
 नाम (साफ व बड़े अक्षरों में)
 पता :
 जिला पिन
 ईमेल मोबाइल नं.
 डीडी/पीओ/एमओ सं. दिनांक सदस्यता सं.



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष : 70 ★ मासिक अंक : 11 ★ पृष्ठ : 52 ★ भाद्रपद-आश्विन 1946 ★ सितम्बर 2024

प्रधान संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डी.के.सी. हृदयनाथ

आवरण : पवनेश कुमार बिंद

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं- 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,

सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

वार्षिक साधारण डाक : ₹ 230

ट्रेकिंग सुविधा के साथ : ₹ 434

नोट: सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर तथा ई-पुस्तकों के लिए Google play या Amazon पर लॉग-इन करें।

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी सूचना तथा विज्ञापन छापवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश

प्रकाशन विभाग, कमरा सं-779, सातवां तल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु ई-मेल : pdjuicir@gmail.com या दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि केंरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2024,



इस अंक में

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उपाय 5

-डॉ. के. के. त्रिपाठी

ग्रामीण भारत में सतत विकास का ब्लूप्रिंट 12

-सतीश सिंह

विकसित भारत की ओर एक कदम 19

-डॉ. झरिता जी. त्रिपाठी

बजट के परिप्रेक्ष्य में समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय 24

-जय प्रकाश पांडे, राजा पंडित

उद्योग कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु कार्ययोजना 30

-बीएस पुरकायस्थ

कृषि हेतु बजट में कल्याण और विकास के बीच संतुलन 35


-भुवन भास्कर

बजट में भारी पीढ़ी संबंधी सुधार 40

-संदीप दास

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना 41

-मंजुला वाधवा



प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं- 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फ्रस्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैफ्युन टॉवर, चौथी मंजिल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर, पो. सिलपुखुरी, चानमारी	781003	0361-4083136

केंद्रीय बजट 2024-25 भारत में कृषि, उद्योग, रोजगार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्रौद्योगिकी में निवेश को प्राथमिकता देकर, छोटे किसानों और उद्यमियों का समर्थन करके, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देकर और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के प्रस्ताव रखकर सरकार ने एक अधिक लचीले कृषि और विनिर्माण क्षेत्र की नींव रखी है।

यह बजट कृषि, व्यापार और उद्योग, रोजगार सृजन, विनिर्माण, ऊर्जा, टिकाऊ और समावेशी मानव संसाधन विकास, नवाचार, बुनियादी ढांचे के विकास और कर सुधारों में लचीलेपन पर फोकस करता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर तथा लंबी अवधि में उपभोग को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के सरकार के स्पष्ट दृष्टिकोण पर जोर देता है। बजट का अनावरण आर्थिक सुधार और कृषि क्षेत्र में लगातार चुनौतियों की पृष्ठभूमि में किया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में कृषि न केवल सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देती है, बल्कि देश की आधी से अधिक आबादी की आजीविका को भी बनाए रखती है। 2024 के बजट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। इसमें ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे व्यापार, उद्योग और उद्यमिता को भी संबोधित किया गया है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की गति को और बढ़ाया जा सके।

ग्रामीण कार्यबल में नए प्रवेशकों के लिए रोजगार से जुड़ी योजनाओं की घोषणा के साथ-साथ उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के सहायता ऋण से यह सुनिश्चित होगा कि ग्रामीण आबादी की अगली पीढ़ी व्यापार और उद्योग से संबंधित क्षेत्रों में भी पर्याप्त रूप से कुशल हो। सरकार ने इस बजट में एमएसएमई को एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता के रूप में मान्यता देते हुए उन्हें अनुपालन और विकासोन्मुख रहने के लिए ऋण पहुँच, उचित प्रशिक्षण और डिजिटल तकनीक प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

विकास और रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का पैकेज भी ग्रामीण समुदायों के लिए उम्मीदें जगाता है। वित्तपोषण के अवसरों को अनुकूलतम बनाने और एंजल टैक्स को समाप्त करने की पहल से स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, विविध निवेश आकर्षित होंगे और एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इस बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए ग्रामीण मांग, बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, रोजगार जैसे कई क्षेत्रों को संबोधित करने की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र रूप से खपत और खर्च को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विकसित भारत के विज्ञान को साकार करने के लिए इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर व्यापक सुधार भी प्रस्तुत किए गए हैं।

संक्षेप में, यह बजट 'आत्मनिर्भर' और 'विकसित भारत' के लिए सबसे मजबूत नींव रखता है। कुरुक्षेत्र के इस अंक में प्रकाशित लेखों के माध्यम से बजट के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करने और उन पर गहनता से विचार करने का हर संभव प्रयास किया गया है। आशा है कि यह पाठकों को इस बजट की जटिलताओं को समझने और उनके प्रभावों के बारे में पर्याप्त जानकारी देगा।



₹ केन्द्रीय
बजट
2024-25

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उपाय

-डॉ. के. के. त्रिपाठी

कृषि और ग्रामीण विकास में आय, रोजगार और उद्यमिता में वृद्धि के माध्यम से न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की व्यापक क्षमता है। बजट 2024-25 में उचित रूप से उत्पादक और अनुकूलनशील कृषि का आह्वान किया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास में संसाधन आवंटन में वृद्धि से रोजगार सृजन, आय तथा धन संपदा का सृजन और ग्रामीण भारत में समग्र उपभोग मांग में वृद्धि के साथ ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय बजट 2024-25 की घोषणाओं से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति पर प्रकाश डाला गया है और विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई है और बड़े पैमाने पर कोविड-पूर्व विकास के रुझान के बराबर पहुँच गई है। आने वाले वर्षों में 7% से अधिक की बढ़ी हुई आर्थिक वृद्धि का संकेत देते हुए, सर्वेक्षण ने क्षेत्रीय असमानता को दूर करने और देश में रोजगार सृजन के लिए नीतिगत फेरबदल के महत्व को रेखांकित किया है। इसने प्राथमिक उपज में मूल्य संवर्धन को सुनिश्चित करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उद्यमिता प्रणाली में सुधार के अलावा अर्थव्यवस्था के गैर-कृषि क्षेत्रों में लगभग 78.50 लाख

रोजगारों के सृजन की आवश्यकता पर जोर दिया।

सर्वे में कम उत्पादकता के स्तर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, खंडित भूमि जोत और मार्केटिंग हेतु अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना पर भी चिंता व्यक्त की गई है, जो कृषि कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं और देश की मानसून निर्भर कृषि अर्थव्यवस्था पर दबाव के स्तर को बढ़ा सकते हैं। जबकि सर्वे में उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट और बेहतर विस्तार सेवाओं तक बेहतर पहुँच का समर्थन किया गया है और फसल, पशुधन, पशुपालन और मत्स्य पालन में निवेश और उत्पादकता बढ़ाने, बिजली और उर्वरक सब्सिडी को उचित तरह से लक्षित करके तथा कृषि उपज और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, नागरिकों की बजट-पूर्व उम्मीदें आय, धन-संपदा, रोजगार और बुनियादी अवसंरचना

लेखक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं। ई-मेल: tripathi123@rediffmail.com

तालिका-1: बजट 2024-25 में व्यय की प्रमुख मदों में रुझान

व्यय की मदें	व्यय/आवंटन (करोड़ रुपये में)					2024-25 में आवंटन में वृद्धि (%)			
	2016-17	2022-23	2023-24		2024-25	वास्तविक		संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
			वास्तविक	बजट अनुमान		संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	2016-17	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	50,184	1,25,875	1,44,214	1,40,533	1,51,851	202.58	20.63	8.05	5.29
शिक्षा	72,016	98,567	1,16,417	1,08,878	1,25,638	74.45	27.46	15.39	7.92
स्वास्थ्य	39,005	73,551	88,956	79,221	89,287	128.91	21.39	12.70	0.36
ग्रामीण विकास	113,877	2,38,396	2,38,204	2,38,984	2,65,808	133.41	11.49	11.22	11.58
समाज कल्याण	31,812	40,470	55,080	46,741	56,501	77.60	39.61	20.88	2.57

स्रोत: केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विवरणों, केंद्रीय बजट 2018-19 और 2024-25 में दर्शाए गए आंकड़ों से संकलित

में सुधार से लेकर समग्र रूप से सक्षम कारोबारी माहौल सुनिश्चित करने तक थीं। इस पृष्ठभूमि में यह लेख बजट 2024-25 में प्राथमिकता वाले कुछ कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित फोकस क्षेत्रों पर चर्चा करके सरकार की अंतर्निहित नीति, दिशा और सामाजिक-आर्थिक आशय को समझाने का प्रयास करता है।

ग्रामीण आजीविका और बुनियादी अवसंरचना के लिए आवंटन प्रवृत्ति

बजट में उत्पादक और अनुकूलनशील कृषि का आह्वान किया गया। इसमें महत्वपूर्ण आजीविका और ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना के कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधनों को आवंटित करके त्वरित कृषि आधारित ग्रामीण आर्थिक विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। कृषि और ग्रामीण विकास में संसाधन आवंटन में वृद्धि का उद्देश्य रोजगार सृजन, आय और धन-संपदा सृजन और ग्रामीण भारत में समग्र उपभोग मांग में वृद्धि के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।

व्यय की प्रमुख मदों (तालिका-1) में प्रवृत्तियों की समीक्षा से पता चलता है कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन में क्रमशः 2016-17 और 2023-24 में दर्ज वास्तविक व्यय की तुलना में 202% और 20.63% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2024-25 बजट अनुमान में 2016-17 और 2022-23 में दर्ज वास्तविक व्यय की तुलना में क्रमशः 128.91% तथा 21.39% और 133.41% तथा 11.49% की वृद्धि देखी गई है। सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए

बजट अनुमान 2024-25 में 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 20.88% की वृद्धि देखी गई है। साथ ही, यह वृद्धि शिक्षा (15.39%), स्वास्थ्य (12.70%), ग्रामीण विकास (11.22%) और कृषि और संबद्ध गतिविधियों में भी देखी गई (8.05%) है।

वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान (तालिका-2) की तुलना में सात चुनिंदा महत्वपूर्ण मंत्रालयों/विभागों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन की समीक्षा से पता चलता है कि कौशल विकास और उद्यमिता, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, कृषि अनुसंधान और शिक्षा तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को प्राथमिकता दी गई है।

कौशल विकास और उद्यमिता ने वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन में 38.65% की छलांग लगाई, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने क्रमशः पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 27.10%, 4.91%, 3.79%, 2.53% और 0.65% की वृद्धि दर्ज की। एमएसएमई मंत्रालय के लिए बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के समान है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता निवेश, खरीददारों की बेहतर मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में समान रोजगार सृजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन रहे हैं। राष्ट्र के सामने वास्तविक चुनौती क्षेत्र स्तर के कार्यान्वयन की खामियों को पूरा करना और सभी संबंधित

विभागों/मंत्रालयों की संसाधन अवशोषण क्षमता को बढ़ाना है। वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक धनराशि आवंटित करने से बजट अनुमान और बजट 2023-24 के संशोधित अनुमान के बीच बड़ा सकारात्मक अंतर उत्पन्न हुआ। ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 2023-24 के संबंधित बजट अनुमानों की तुलना में 2024-25 संसाधन आवंटन में क्रमशः 20,021 करोड़ रुपये और 6,997 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

'स्वास्थ्य' मानव विकास के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। सरकारी पहलों का जोर स्वास्थ्य सेवा में दक्षता, समानता, पहुँच, सामर्थ्य, गुणवत्ता में सुधार लाने की ओर है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है और यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना बन गई है। जुलाई 2024 तक 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और योजना के तहत अस्पताल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की कुल 7.37 करोड़ भर्ती की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इस

बजट 2024-25 में संग्रह, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति शृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने से किसानों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित होगा। सब्जियों और अन्य बागवानी उत्पादों के लिए कलस्टरो को चिह्नित और विकसित करना और उन्हें मांग केंद्रों से जोड़ना कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में नीतिगत दिशाओं को इंगित करता है, ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों पर निरंतर जोर ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के लिए देश के संकल्प को निर्दिष्ट करता है।

योजना को 7,300 करोड़ रुपये का बजट आवंटन मिला है जो संशोधित अनुमान 2023-24 से 7.35% अधिक है (तालिका-3)।

कृषि एवं किसान कल्याण

बजट 2024-25 में किसानों के नेतृत्व में सतत कृषि विकास के सरकार के वादे पर जोर दिया गया है और कृषि में उत्पादकता और लचीलापन हासिल करने के लिए निरंतर

तालिका-2 : 2016-17, 2023-24 और 2024-25 में चयनित केंद्रीय मंत्रालयों में बजट आवंटन का रुझान

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	आवंटन (करोड़ रुपये में)					24-25 में आवंटन में वृद्धि (%)			
		वास्तविक		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	Over			
		2016-17	2022-23	2023-24		2024-25	वास्तविक		संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
							2016-17	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कृषि और किसान कल्याण	40,626	99,877	1,15,531	1,16,788	1,22,528	201.59	22.67	4.91	6.05
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	5,995	8,399	9,504	9,876	9,941	65.82	18.35	0.65	4.59
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन	2,376	3,610	6,576	5,615	7,137	200.37	97.70	27.10	8.53
4	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	3,650	23,541	22,138	22,138	22,138	506.52	-5.95	0.00	0.00
5	ग्रामीण विकास	1,56,287	1,76,837	1,57,545	1,71,069	1,77,566	13.61	0.41	3.79	12.70
6	कौशल विकास और उद्यमिता	1,553	1,371	3,517	3,260	4,520	191.40	229.68	38.65	28.51
7	महिला एवं बाल विकास	17,097	23,994	25,448	25,448	26,092	52.61	8.74	2.53	2.53

स्रोत: केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अनुदान मांगों, केंद्रीय बजट 2018-19 और 2024-25 में दर्शाए गए आंकड़ों से संकलित।

कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए
1.52 लाख करोड़ रुपये

- किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी
- देश भर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन
- कियान्वयन में सहायता के लिए 10 हजार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे



प्रयासों की परिकल्पना की गई है। इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इस क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव करने की इच्छा व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पाँच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है जिसमें 80 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं। बजट में उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया है। चयनित प्रमुख योजनाओं (तालिका-3) में बजट आवंटन से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को संशोधित अनुमान वर्ष 2023-24 की तुलना में बजट अनुमान वर्ष 2024-25 में 21.85% अधिक संसाधन मिले हैं। इसी प्रकार, मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) और कृषि किसानों के लिए कृषोन्नति योजना में संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में बजट अनुमान 2024-25 के संसाधन आवंटन में क्रमशः

56.80% और 16.76% की बढ़ोतरी हुई है।

जोखिम कम करने की आवश्यकता वाले हाल ही के मुद्दे इस प्रकार हैं :-किफायती कीमतों पर कृषि इनपुट की उपलब्धता, बाजार और अन्य लॉजिस्टिक सेवाओं तक आसान पहुँच, स्थिर बाजार मूल्य और कृषि में उत्पादन जोखिम और मूल्य जोखिमों को कम करने को लक्षित करके कृषि के तहत क्षेत्रफल में वृद्धि सुनिश्चित करना है। कृषि में अनिश्चितताओं और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, फसल और पशुधन बीमा योजनाओं, आधुनिकीकरण और बेहतर कृषि रसद के प्रावधान, कृषि बाजारों के नज़दीक पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के साथ विपणन अवसरों जैसे जोखिम न्यूनीकरण साधनों में सुधार के लिए प्रभावी सरकारी पहल की आवश्यकता होगी। जबकि 50% से अधिक लागत पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में कृषि घाटे के जोखिम को कम करने की क्षमता मौजूद है, लेकिन यदि सरकार मांग की अवधारणाओं को ध्यान में नहीं रखती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है।

बजट में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने, चयनित 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करने, 32 फसलों की 109 अधिक उपज वाली किस्मों को जारी करने और जैविक खेती के दायरे और कवरेज का विस्तार करने के लिए विभिन्न सक्रिय उपायों को सूचीबद्ध किया गया है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण द्वारा समर्थित डिजिटल भूमि रिकॉर्ड रजिस्ट्री कृषि और ग्रामीण नियोजन, बुनियादी अवसंरचना की व्यवस्था और कृषि गतिविधियों के सावधानीपूर्वक और सचेत निष्पादन में सहायक होगी। सब्जियों और अन्य बागवानी उत्पादों के लिए क्लस्टरों को चिह्नित करना तथा विकसित करना और इस प्रकार उन्हें मांग केंद्रों के साथ जोड़ने से कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।



तालिका-3: चयनित प्रमुख योजनाओं में वजटीय आवंटन

क्र. सं.	क्षेत्र/योजनाएं	आवंटन (करोड़ रु. में)				आवंटन में वृद्धि (%)	
		वास्तविक	2023-24		2024-25	2024-25 में	
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान		संशोधित अनुमान 2023-24	बजट अनुमान 2024-25
1	2	4	5	6	7	9	10
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा	90,806	60,000	86,000	86,000	0.00	43.33
2	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	9,651	9,636	9,652	9,652	0.00	0.16
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	5,637	8,587	7,031	9,339	32.82	8.75
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	18,783	19,000	17,000	19,000	11.76	0.00
5	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण	44,962	54,487	32,000	54,500	70.31	0.02
6	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - आजीविका	11,536	14,129	14,129	15,047	6.49	6.49
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5,247	7,150	6,150	7,553	21.85	5.63
8	कृषोन्नति योजना	4,716	7,066	6,378	7,447	16.76	5.39
9	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	1,168	2,000	1,500	2,352	56.80	17.60
10	आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)	6,186	7,200	6,800	7,300	7.35	1.38

स्रोत: केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अनुदान मांगे, केंद्रीय बजट 2024-25, में दर्शाए गए आंकड़ों से संकलित।

सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की गई थी। यह एक एकीकृत सिंचाई पहल है, जिसमें विभिन्न घटकों को शामिल किया गया है जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईवीपी), कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम), प्रत्येक खेत को पानी (एचकेकेपी), प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) और वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)। बजट 2024-25 में पीएमकेएसवाई के लिए 9,339 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान से 32.82% अधिक है (तालिका-3)। भारत में 54% कृषि भूमि असिंचित है। पीएमकेएसवाई पहल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई बुनियादी अवसंरचना के योजनाबद्ध और एकीकृत विकास की जरूरत है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार अवसरों की अनुपलब्धता तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए आवश्यक निवेश की कमी के कारण कार्य सहभागिता दर कम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में जमीनी स्तर पर विविध हरित रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण परिदृश्य से मांग पक्ष की कठोरता को दूर करने की

अपार क्षमता है। बजट 2024-25 में महात्मा गांधी नरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के महत्व को रेखांकित करना जारी रखा गया है- ग्रामीण परिवेश में गुणवत्तापूर्ण और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों और उद्यमों के निर्माण की दिशा में मौजूदा दो मजदूरी और स्वरोजगार कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को हमेशा ग्रामीण व्यवस्था में प्रभावी माना जाता है, जिसमें गरीबी की उच्च दर को कम करने की क्षमता होती है। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के मुकाबले मनरेगा और एनआरएलएम के आवंटन में क्रमशः 43.33% और 6.49% की वृद्धि देखी गई (तालिका-3)।

मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवंटन का लक्ष्य ग्रामीण मजदूरी रोजगार सृजित करना और वर्ष 2024-25 के दौरान अतिरिक्त उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। मनरेगा कार्यों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि हालांकि इस योजना में बड़ी वित्तीय अवशोषण क्षमता है, फिर भी यह गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्ति निर्माण पर कम ध्यान देने, दोषपूर्ण कार्ययोजना और डिजाइन, परियोजनाओं और कार्यस्थलों के अनुचित चयन, कार्यों के सर्वेक्षण की कमी, गलत कार्य डिजाइन अनुमान, अकुशल कार्य निष्पादन और अपर्याप्त तकनीकी पर्यवेक्षण के कारण समुदाय के लिए

गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियां उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। इन बाधाओं के बावजूद, मनरेगा के अंतर्गत सार्वजनिक कार्यों के लिए बढ़ाया गया आवंटन ग्रामीण भारत में ग्रामीण आय और रोजगार सृजन जन कार्यों के लिए सार्वजनिक निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समय की मांग है कि गुणवत्तापूर्ण विशेषज्ञों का एक कैडर तैयार किया जाए जो मनरेगा के तहत सामुदायिक स्तर पर परिणाम-आधारित सार्वजनिक कार्यों की योजना और निगरानी का हिस्सा बन सकें।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) दो महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजना पहले हैं। डीएवाई-एनआरएलएम का लक्ष्य सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं तक पहुँचना है, जिनकी संख्या लगभग 10 करोड़ है। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य वित्तीय सहायता रिवॉल्विंग फंड (RF)* और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) है, जो स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों को उनकी आजीविका गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान की जाती है। डीएवाई-एनआरएलएम के ग्राम उद्यमिता विकास दृष्टिकोण का उद्देश्य एक उत्प्रेरक स्थानीय उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को उनके स्वयं के बल पर स्थानीय उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, 2024-25 के दौरान डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्थापित किए जाने वाले ग्रामीण उद्यम न केवल हमारे 5.5 लाख गाँवों के वास्तविक

विकास इंजन साबित होंगे, बल्कि (क) एसएचजी के वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने (ख) बेसलाइन पर घरेलू आय बढ़ाने और (ग) लाखों ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, प्लेसमेंट सुनिश्चित करने में भी मदद करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में एनआरएलएम को एक सफल और स्थायी पहल बनाने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर अभिसरण समितियों का गठन करके आर्थिक गतिविधियों का उचित विविधीकरण और अन्य विभागों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रमों के साथ अभिसरण की आवश्यकता हो सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ग्रामीण और शहरी आवास के लिए परिव्यय, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियों के माध्यम से, रोजगार सृजन बढ़ाने के सरकार के संकल्प को दर्शाता है। 54,500 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ पीएमएवाई-ग्रामीण में 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2024-25 के बजट अनुमान में 70.31% की वृद्धि देखी गई है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई है। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों को निर्माण प्रक्रिया अर्थात् मकान की जगह का चयन करना, निर्माण सामग्री की खरीद के लिए स्वयं व्यवस्था करना, कुशल कामगारों को शामिल करना और पारिवारिक श्रम में योगदान देने के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है। लाभार्थियों को घर के निर्माण के तरीके और निर्मित परिसंपत्तियों के स्थायित्व से समझौता किए बिना लागत प्रभावी स्थानीय तकनीक के उपयोग के बारे में भी स्वयं निर्णय लेना चाहिए।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-ग्रामीण संपर्क के लिए अक्सर चर्चित सफल पहलों में से एक इस योजना में विभिन्न स्तरों पर त्रि-स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली है जो परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निर्मित सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने में प्रणालीगत कमियों का पता लगाती है और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करती है। इस योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 2,000 करोड़ रुपये अधिक है। 25,000 पात्र ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई के चरण IV को शुरू करने का प्रस्ताव है। समय की मांग है कि व्यवस्थित जिला ग्रामीण सड़क योजनाएं सुनिश्चित की जाएं और इस योजना के तहत नई सड़कों के निर्माण की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के उद्देश्य से जिलों में सभी सड़कों के पूरे नेटवर्क को सूचीबद्ध किया जाए। ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव में गुणवत्ता



केन्द्रीय
बजट
2024-25



वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF
FINANCE



कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और अनुकूलनीयता

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई): देश के 400 जिलों में डीपीआई का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा
- पाँच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे
- झींगा मछली ब्रूडस्टॉक के लिए केन्द्रीकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी



*Revolving Fund - रिवॉल्विंग फंड एक ऐसा फंड या खाता होता है जो किसी वित्तीय वर्ष की सीमा के बिना किसी संगठन के निरंतर संचालन को वित्तपोषित करने के लिए उपलब्ध रहता है।



सुनिश्चित करने के लिए सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का पालन करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

ग्रामीण अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों पर निरंतर जोर ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के प्रति देश के संकल्प को दर्शाता है। बजट 2024-25 में कृषि और ग्रामीण विकास के महत्व को उचित रूप से रेखांकित किया गया है और तदनुसार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि और गैर-कृषि रोजगार गतिविधियों में निवेश का सुझाव दिया है। प्रमुख उपभोग केंद्रों के निकट सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित करने का विज्ञान उल्लेखनीय है। संग्रह, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति शृंखलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने से किसानों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित होगा। किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का कार्यान्वयन और 400 जिलों में इसका उपयोग करके खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण कृषि तकनीकी इंटरफेस को और मजबूत करेगा। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के लिए बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन और श्रिम्प ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों के नेटवर्क के लिए विशेष प्रावधान के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा श्रिम्प वित्तपोषण, प्रसंस्करण और निर्यात में सुनिश्चित समर्थन से मछली पालन को एक लाभदायक और स्वीकार्य उद्यम बनाने में मदद मिलेगी।

बड़े बजट वाले कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त उद्यमिता, प्रशिक्षण और

कौशल-संचालित स्वरोजगार उद्यमों की ओर उन्मुखीकरण की गारंटी की आवश्यकता है। कृषि और ग्रामीण विकास में आय, रोजगार और उद्यमिता में वृद्धि के माध्यम से एक समान और सर्व समावेशी विकास सुनिश्चित करने की अत्यधिक क्षमता है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के विशाल हिस्से को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विनिर्माण क्रांति, रोजगार सृजन, गरीबी में कमी और कौशल उन्नयन के लिए सक्षम माहौल को फिर से उन्मुख और सुगम बनाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वास्तविक चुनौती कृषि और ग्रामीण गैर-कृषि गतिविधियों के लिए बजट की घोषणाओं और नीति निर्देशों को समन्वित और ठोस तरीके से व्यवहार में लाना है ताकि इन्हें लाभदायक और व्यापक रूप से स्वीकार्य बनाया जा सके।

संशोधित राष्ट्रीय सहयोग नीति के कार्यान्वयन के बारे में बजट घोषणा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रों जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, लॉजिस्टिक, आवास, चीनी, श्रम, उपभोक्ता, विपणन, प्रसंस्करण आदि में सहकारी समितियों की ग्रामीण सांद्रता को देखते हुए, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। यदि नीति को व्यवहार में लाया जाता है, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता के मूल सिद्धांतों को पूरा करके मॉडल सहकारी गाँव बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि यह सरकार का एक नया और सराहनीय कदम है, लेकिन विकसित भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण रोजगार, आय और धन की विकास प्रक्रियाओं को तेज करके कई मंत्रालयों/विभागों/सहकारी सुविधा एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ समय पर और उचित समन्वय आवश्यक है।



ग्रामीण भारत में सतत विकास का ब्लूप्रिंट

-सतीश सिंह

ग्रामीण भारत में विकास के लिए सड़क, विजली, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल सहित कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का निरंतर विकास ज़रूरी है। केन्द्रीय वजट 2024-25 में इस दृष्टि से कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं जो सतत ग्रामीण विकास में सहायक होंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है तथा 47 प्रतिशत आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। ग्रामीण भारत में निरक्षरता, जातिगत समस्या, लैंगिक भेदभाव, किसानों की बाजार तक सीमित पहुँच, अनाज भंडारण की कमी, विचौलियों का वर्चस्व, वित्तीय जागरूकता की कमी आदि समस्याएँ बनी हुई हैं तथा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे, पेयजल, संचार व्यवस्था, विजली आदि की अनुपलब्धता इस स्थिति को और बदतर बना रही है। आज किसान खेती से अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। छद्म रोजगार की स्थिति भी बनी हुई है, यानी जो काम एक व्यक्ति कर सकता है, उसे कई लोग मिलकर करते हैं। चीनी, चावल, जूट आदि

विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कई उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सहजता से नहीं हो पा रही है, क्योंकि गाँवों में बुनियादी ढांचे का अभाव है और वहाँ औद्योगिक इकाइयों की संख्या भी कम है।

विकल्पों के अभाव में ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि में कम लाभ के कारण उनकी आय कम है। वित्त वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 18.10 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर लगभग 15 प्रतिशत रह गया। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण इसमें और कमी आने की आशंका है। जीडीपी में कृषि का योगदान तभी बढ़ सकता है जब ग्रामीण भारत में सतत विकास सुनिश्चित किया जाए।

लेखक भारतीय स्टेट बैंक के अहमदाबाद मंडल के स्थानीय प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक (शिक्षण एवं विकास) के पद पर कार्यरत हैं। ई-मेल : singhsatish@sbi.co.in

हमने आजादी के 100वें साल यानी 2047 तक अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। इसलिए बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनकी मदद से देश में मौजूद क्षेत्रीय असमानता और आय असमानता को कुछ हद तक पाटा जा सकता है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, व्यापार करने में आसानी, ग्रामीण और शहरी विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे आदि को मजबूत करके इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

बजट का विषय और आगे की राह

इस वर्ष के बजट का विषय गरीब, महिला, युवा और किसान है और इसके अनुसार कृषि क्षेत्र को उत्पादोन्मुख बनाने, रोजगार सृजन में तेजी लाने, महिलाओं को सशक्त बनाने आदि पर जोर दिया गया है। साथ ही, विकास की गति को तेज करने के लिए निर्माण, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता, सुदृढ़ीकरण, नवाचार और अनुसंधान आदि सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए बजटीय प्रावधान

शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें बजटीय सहायता देकर ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत किया जा सकता है। इसलिए बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत काम करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना काल में ग्रामीण युवाओं को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिससे वे अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सफल रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार अगले 5 साल में किफायती दरों पर घर बनाने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता देगी। सरकार 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश भी करेगी। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस पहल से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर अपना घर मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों को मुख्यधारा में तभी लाया जा सकता है जब उनके पास घर, आजीविका के साधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हों।


50 प्रतिशत से भी कम आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। इसलिए जल जीवन मिशन का महत्व

अतुलनीय है। इसके तहत हर घर में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर में पीने का पानी पहुँचाने के उद्देश्य से 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि सभी लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा सके। जल जीवन मिशन के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है जो पिछले बजट से थोड़ा अधिक है। लेकिन इसके महत्व को देखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं कही जा सकती।

नई शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 4 अगस्त 2021 को की गई थी, जिसके तहत प्री-नर्सरी से 12 वीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। चूंकि, यह लक्ष्य अभी अधूरा है। इसलिए, पूरे देश में समग्र शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बजट में 37,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों, महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, क्योंकि केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही उत्पादकता में सुधार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है। सरकार ने इस पहल के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे वे घर और समाज में खुशहाली और समृद्धि ला सकेंगे।

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पोषण सामग्री एवं




बजट पर एक नज़र

- 2022 23
(वास्तविक)
- 2023 24
(संशोधित अनुमान)
- 2023 24
(बजट अनुमान)
- 2024 25
(बजट अनुमान)

₹ करोड़ में


प्राप्तियां

राजस्व




व्यय

राजस्व



व्यवसायों को जीवन बदलने देना पीएमईजीपी का मूल उद्देश्य है



वितरण में रणनीतिक परिवर्तन के माध्यम से बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण एवं अन्य गंभीर बीमारियों से बचाना है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इसकी सहायता से स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए स्थिति में सुधार के लिए बजट में 21,200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

भारत में खेती आज भी मानसून पर निर्भर है। देशभर में एक समान सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, किसानों की फसलें कभी बाढ़ तो कभी सूखे से बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में फसल बीमा का महत्व बढ़ जाता है। मुश्किल वक्त में बीमा किसान के लिए संजीवनी का काम करता है। जिन किसानों ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ले रखा है, उनकी फसलों का बीमा बैंक करा देता है, लेकिन जिन्होंने बैंक से ऋण नहीं लिया है, उन्हें अपनी फसलों का बीमा खुद कराना पड़ता है। संकट के समय किसानों को आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने फसल बीमा योजना में 14,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014 को की गई थी। यह अभियान लोगों को हर साल 100 घंटे श्रमदान करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हर शहर और हर गाँव को साफ रखा जा सके। देशभर में साफ-सफाई बनाए रखने से स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी आ सकती है, क्योंकि गंदगी बीमारी फैलने का सबसे बड़ा कारण है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार ने 12,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर, 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग या ऐसा परिवार जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है या जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है या पीएमजेएवाई लाभार्थी सूची में सूचीबद्ध हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह समाज के वंचित या कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए समर्पित है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें, सरकार ने बजट में 7,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। पीएमईजीपी की शुरुआत 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर की गई थी। यह एक ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना है, जिसकी निगरानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य नए स्वरोजगार से जुड़े उपक्रमों, लघु उद्यमों और परियोजनाओं को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण युवाओं का पलायन रोकना है। इस योजना

को समर्थन देने के लिए बजट में 2,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी, जिसके तहत गाँवों की कच्ची सड़कों को शहरों की पक्की सड़कों से जोड़ा गया था। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत छोटे-बड़े गाँवों को शहरों की पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना है और इसे मूर्त रूप देने के लिए बजट में 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बैंक असंगठित क्षेत्र के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें वित्तपोषित कर रहे हैं, ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके। सरकार ने इस योजना के समेकन के लिए 4,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

किसान फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिसमें किसानों की आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। इसलिए किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने यूरिया की खरीद में 1.19 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया है, जो एक प्रकार का उर्वरक है, जिसका उपयोग भारत में किसान अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कर रहे हैं।

हमारे देश में आबादी का एक बड़ा हिस्सा एक दिन का भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लिए 2.05 लाख

करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 1 जनवरी, 2024 से अगले 5 वर्षों तक उनकी पात्रता के अनुसार 35 किलोग्राम और 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

सड़क निर्माण में 1.15 लाख करोड़ रुपये और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है, जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगा, यानी वहाँ भी कुछ हजार किलोमीटर सड़क बनेगी। गाँवों में कनेक्टिविटी होने से सब्जियाँ या अनाज समय पर बाजार पहुँच सकेंगे और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा।

कौशल उन्नयन पर ज़ोर


भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य कारण युवाओं में कौशल की कमी है। अगर वे कुशल होंगे तो उन्हें रोजगार की समस्या नहीं होगी। इसलिए बजट में युवाओं के कौशल उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया गया है और 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार की इस पहल से युवाओं को या तो रोजगार मिलेगा या फिर वे स्वरोजगार के ज़रिए आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

बजट में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को हब में उन्नत करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित श्रमिकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा कौशल उन्नयन के साथ-साथ श्रमिकों की उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सके। इस पहल से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के उत्पादन एवं लाभ में वृद्धि होने की संभावना है।



पीएमईजीपी :
प्रधानमंत्री रोजगार
सृजन कार्यक्रम

m © maps of india.com



सरकार ने अगले 5 सालों में देश की शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटरशिप देने की योजना बनाई है। इस दौरान उन्हें हर महीने 5,000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। इस पहल से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के कामकाज को समझने और सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार पाने या स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी।

संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ाना

सरकार देगी संगठित क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को तीन किस्तों में 15,000 रुपये देगी। एक अनुमान के मुताबिक इस व्यवस्था से 2.1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और कंपनियों दोनों को पहले 4 साल तक कर्मचारी लिंक्ड प्रोत्साहन देगा। फिलहाल सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम के तहत उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है, जिसका फायदा औद्योगिक प्रतिष्ठानों और उनके कर्मचारियों दोनों को मिल रहा है। सरकार की इस पहल से संगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे लंबे समय में ज्यादा-से-ज्यादा युवाओं को सरकारी पहलों का लाभ मिलना आसान हो जाएगा।

कुल प्राप्तियां और राजकोषीय घाटे में अनुमानित कमी

सरकार बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धनराशि तभी उपलब्ध करा सकती है, जब उसके पास पर्याप्त प्राप्तियां हों। इसके लिए वह राजस्व जुटाती है और

गैर-जरूरी मदों पर खर्च कम करने की कोशिश करती है। बजट में 43.86 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का अनुमान लगाया गया है, जिसमें आयकर से 11.87 लाख करोड़ रुपये, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से 10.62 लाख करोड़ रुपये और निगम कर से 10.20 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए 16.91 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सरकार के पास कुल आरक्षित निधि 60.71 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।

भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 83 प्रतिशत यानी 161 लाख करोड़ रुपये उधार लिया है। हालांकि, यह प्रतिशत कई विकसित देशों से कम है, जैसे अमेरिका ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 121 प्रतिशत उधार लिया है, वहीं, जापान ने सकल घरेलू उत्पाद का 261 प्रतिशत और इंग्लैंड ने सकल घरेलू उत्पाद का 101 प्रतिशत ऋण लिया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सरकार की आर्थिक स्थिति मोटे तौर पर ठीक है और वह विकास सुनिश्चित करने के लिए खर्च करने में सक्षम है।

वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो 16.13 लाख करोड़ रुपये होगा, जबकि फरवरी 2024 में पेश किए गए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था और यह 16.85 लाख करोड़ रुपये था। उससे पहले, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जो 17.34 लाख करोड़ रुपये था। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार कुछ हद तक खर्च को नियंत्रित करने में सफल रही है।

कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान

कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 60,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित किए गए हैं। इस तरह कृषि केंद्रित 92,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके साथ ही, सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से कई ऐसे प्रावधान भी किए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को संबल प्रदान करेंगे।

छह करोड़ किसानों और उनकी जमीन को भूमि रजिस्ट्री के दायरे में लाने की घोषणा की गई है। इसकी मदद से जीआईएस मैपिंग, डिजिटलीकरण, मालिकाना हक, किसानों का पंजीकरण और जमीन की पहचान का काम किया जाएगा। इससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

जैव अनुसंधान के कई लाभ हैं जैसे इससे कीटनाशकों का उपयोग कम होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा, पशुओं के अपशिष्ट का उपयोग खेतों में खाद के रूप में किया जा सकेगा, आदि। इसलिए बजट में 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

अगले 2 साल में एक करोड़ किसान प्राकृतिक खेती करेंगे, जिसकी ब्रांडिंग और प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। इस पहल को मूर्त रूप देने से लोगों को स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी, क्योंकि उर्वरकों में हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल से लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। प्राकृतिक खेती में सिंथेटिक रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे भोजन में पोषण अधिक होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए खपत केंद्रों के पास बड़े क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे गाँवों में सब्जियों की बर्बादी रुकेगी और उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।

1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की शुरुआत की गई थी, ताकि किसान आसानी से बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीद सकें। इसके अलावा, ऋण आवश्यकताओं, निवेश और गैर-कृषि गतिविधियों को 2004 में इससे जोड़ा गया। इस योजना की बड़ी सफलता के कारण, 5 और राज्यों में व्यापक आधार पर केसीसी जारी किए जाएंगे, जहां यह अभी भी पात्र किसानों के बीच वितरित नहीं किए गए हैं, ताकि इस सुविधा से वंचित किसान इसका लाभ उठा सकें।

कृषि क्षेत्र में 3 साल के अंदर किसानों और उनकी जमीन को डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) लागू किया जाएगा। DPI एक फिजिकल नेटवर्क बनाता है, जो लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुँच बनाने के लिए जरूरी है। केंद्र सरकार अभी इस कॉन्सेप्ट को राज्य सरकार के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चला रही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जमीनी-स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति से बैंकों के लिए सहकारी समितियों के साथ ऋण समझौते करने के अवसर बढ़ेंगे। ऐसे में बैंक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और कृषि स्टार्टअप के साथ समझौते करके कृषि ऋण के पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। इनके साथ समझौते या साझेदारी करके बैंक किसानों के नकदी प्रवाह को समझ सकेंगे। इससे किसान बागवानी और अन्य नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि अब भी भारतीय

किसान पारंपरिक तरीके से खेती कर रहे हैं।

बजट में श्रमिकों की बेहतरी के लिए कई पहल की गई हैं, जिसके तहत श्रम पोर्टल को अन्य महत्वपूर्ण पोर्टलों से जोड़ने की योजना है। इसी क्रम में श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल में आमूलचूल परिवर्तन लाए जाएंगे, ताकि वे प्रभावी परिणाम दे सकें। सरकार की इस पहल से श्रमिकों को एक ही पोर्टल पर अपनी रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा।

एमएसएमई के माध्यम से रोजगार सृजन

इस समय करीब 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इकाइयाँ हैं, जो न सिर्फ जीडीपी में अहम योगदान दे रही हैं, बल्कि यह सेक्टर बड़ी आबादी को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यह सेक्टर 11 करोड़ से ज्यादा नौकरियाँ पैदा करने में सफल रहा है।

एमएसएमई के महत्त्व को समझते हुए अब प्लॉट और मशीनरी के लिए ऋण लेने वाले उद्यमियों को बिना किसी कोलैटरल और थर्ड पार्टी गारंटी के ऋण दिया जाएगा और इस सेक्टर को ऋण मिलना आसान बनाने के लिए बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एमएसएमई सेक्टर की ऋण जरूरतों का इन-हाउस आकलन कर उन्हें ऋण देने को कहा गया है। इस मामले में दूसरे तंत्रों या दूसरे संगठनों पर निर्भरता के कारण एमएसएमई सेक्टर को समय पर ऋण नहीं मिल पाता है। इस नए प्रावधान से ऋण वितरण में तेजी आएगी। इसी क्रम में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भी अगले 3 साल में अपनी शाखाओं का विस्तार करेगा ताकि एमएसएमई सेक्टर की ऋण जरूरतों को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

बजट में यह भी कहा गया है कि संकट के समय में भी एमएसएमई को दिया जाने वाला ऋण जारी रखा जाएगा, ताकि बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) न बढ़ें और साथ ही आर्थिक गतिविधियाँ भी न रुकें। कोरोना महामारी के दौरान जब ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, तब सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को कई मामलों में राहत दी थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तर्ज पर एमएसएमई के लिए ई-कॉमर्स हब बनाया जाएगा, ताकि एमएसएमई सेक्टर विभिन्न उत्पादों का उत्पादन कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सके और 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा को साकार कर सके।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 2015 में शुरू की गई थी, जिसे शिशु, किशोर और तरुण नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है; शिशु के तहत, 50,000 रुपये

तक का ऋण दिया जाता है, किशोर के तहत, 50,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है, जबकि तरुण के तहत, 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। 23 जुलाई, 2024 को पेश किए गए बजट में, तरुण श्रेणी में ऋण की अधिकतम राशि को उन उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है, जिन्होंने पहले लिया गया 10 लाख रुपये तक का ऋण निश्चित समय सीमा के भीतर चुका दिया था।

पिछले 8 सालों में शिशु श्रेणी में 33.54 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया है, जबकि किशोर श्रेणी में 5.89 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया है, जबकि तरुण श्रेणी में 81 लाख लोगों को ऋण दिया गया है। मुद्रा लोन कितने लोगों को रोजगार मुहैया करा पाया है, इसके आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अनुमान है कि असंगठित क्षेत्र में इस योजना की मदद से 30 करोड़ से ज्यादा स्वरोजगार सृजित हुए हैं।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्र में विकास की निरंतरता को जारी रखने के लिए सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में लैंगिक एवं जातिगत असमानता को दूर करना भी आवश्यक है। इस दृष्टि से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष प्रावधान के अलावा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यूरिया के लिए सब्सिडी का प्रावधान, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना आदि अनेक ऐसे प्रावधान हैं, जो ग्रामीण भारत में सतत विकास सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। □

Inspiring Intellect ...since decades

Each reader has a thirst to learn and achieve. Our publications have the potential to put you on the path to success.

Do subscribe & buy our monthly journals.



www.publicationsdivision.nic.in
011- 24367260/ 24365609
businesswng@gmail.com

Publications Division
Ministry of Information and Broadcasting
Government of India
Sochna Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003

dpd_india | DPD_India | YojanaJournal | publicationsdivision

विकसित भारत की ओर एक कदम

*डॉ. इशिता जी. त्रिपाठी

यह लेख बजट वर्ष 2024 की घोषणाओं, विशेष रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से संबंधित घोषणाओं का विश्लेषण करता है। इस लेख में बजट प्राथमिकताओं में अपनाए गए 'सम्पूर्ण सरकार' दृष्टिकोण और उसमें निहित कार्यबिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। इसके अंतर्गत वर्तमान में चल रही योजनाओं और नई पहलों के संयोजन के उदाहरण भी दिए गए हैं जो विकसित भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। बजट घोषणाएं भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहलों में नया उत्साह भरती हैं।

माननीय वित्तमंत्री द्वारा 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किया गया केन्द्रीय बजट आठ महीने के लिए है, जो एक वित्तीय वर्ष से काफी कम अवधि का है। फिर भी, यह पहलों की एक निरंतरता है जो फरवरी, 2024 में प्रस्तुत अंतरिम बजट सहित हाल के बजटों द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है। यह भविष्य की योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए आधार भी प्रदान करता है जिससे 'विकसित भारत' का निर्माण हो सकता है।

बजट से एक दिन पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया गया। सर्वेक्षण में उल्लेख किया

गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में क्रमशः 9.7% और 7.0% की दर से बढ़ी है और वर्ष 2023-24 में वास्तविक रूप से 8.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये आंकड़े दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़ों से काफी मेल खाते हैं। उच्च विकास दर विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक उपायों का परिणाम रही है। सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि मुद्रास्फीति दर नियंत्रण में है; वर्ष 2023-24 में व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में कम है; विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश ने गति पकड़ ली है। इस

*लेखिका भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय में अपर विकास आयुक्त हैं। ई-मेल : igtripathy@gmail.com



पृष्ठभूमि में, यह आलेख बजट 2024 की कुछ घोषणाओं, विशेष रूप से जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से संबंधित हैं, का विश्लेषण करता है।

बजट प्राथमिकताएं

अंतरिम बजट 2024 का फोकस गरीब, महिला, युवा और किसानों पर था। इसे आगे बढ़ाते हुए, हाल ही के बजट में रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और मध्यम वर्ग पर जोर दिया गया है। सर्वांगीण विकास को रेखांकित करने वाला एक सामान्य सूत्र है, जो केंद्रीय बजट 2024-25 की सभी नौ प्राथमिकताओं में झलकता है। नवरत्न प्राथमिकताएं इस प्रकार हैं:

- (i) कृषि में उत्पादकता और लचीलापन;
- (ii) रोजगार और कौशल विकास;
- (iii) समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय;
- (iv) विनिर्माण और सेवाएं;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) ऊर्जा सुरक्षा;
- (vii) बुनियादी अवसंरचना ;
- (viii) नवाचार, अनुसंधान और विकास; और
- (ix) भावी पीढ़ी के सुधार

जैसा कि ऊपर दी गई सूची से स्पष्ट है, प्राथमिकताएं परस्पर अनन्य नहीं हैं अर्थात् एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, प्राथमिकता क्रमांक दो पर 'रोजगार और कौशल' के लिए परिकल्पित कार्यों में से एक 'विनिर्माण में रोजगार सृजन' है, जो स्पष्ट रूप से प्राथमिकता क्रमांक चार पर 'विनिर्माण और सेवा' प्राथमिकता से जुड़ा हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के प्रस्ताव की परिकल्पना

इस क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सुनिश्चित करने के लिए नियोजक और कर्मचारी दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। आशा है कि इससे 30 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव के पूरक के रूप में एक और घोषणा की गई है जिसमें कहा गया है कि सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोजकों को उनके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशदान हेतु 2 वर्षों के लिए प्रति माह 3,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना का उद्देश्य 50 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है। विकास के लिए इस तरह का तालमेल 'सम्पूर्ण सरकार' अवधारणा के महत्व को उजागर करता है।

प्राथमिकता संख्या तीन पर 'समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय' के अंतर्गत पीएम विश्वकर्मा जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की घोषणा करने जैसा एक और उदाहरण है। 30 लाख ऐसे कारीगर और शिल्पकार जो अपने हाथों से काम करते हैं, औजारों का उपयोग करते हैं, को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पांच वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर, 2023 को शुरू की गई थी। इस योजना में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि के तीन-स्तरीय उद्देश्यों के माध्यम से लाभार्थियों को समग्र सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जिसमें उन्हें मान्यता प्रदान करना; कौशल उन्नयन; 3 लाख रुपये तक का ऋण; 15,000 रुपये तक के टूलकिट; डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता शामिल है। इसकी शुरुआत के 10 महीने के भीतर ही योजना में 2.3 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए हैं, जिनमें से 15 लाख आवेदकों की तीन-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया के बाद सफलतापूर्वक पंजीकरण पूरा किया गया है। प्राथमिकता तीन और चार के बीच ओवरलैप को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि 18 ट्रेडों में कारीगर और शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र हैं। ये 18 ट्रेड जो विनिर्माण और सेवाओं में फैले हुए हैं, इनमें कवच बनाने वाले, नाई, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले/नारियल के बुनकर, लोहार, नाव बनाने वाले, बढई, मोची, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, मछली पकड़ने के जाल बनाने वाले, माला बनाने वाले, सुनार, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले, ताला बनाने वाले, राजमिस्त्री, कुम्हार, मूर्तिकार/पत्थर तोड़ने वाले, धोबी और दर्जी शामिल हैं।

विनिर्माण और सेवाएं

वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में उद्योग और सेवा क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 27.6% और 54.7% है, जो विनिर्माण और सेवाओं पर

बजट के फोकस को उचित ठहराता है। विनिर्माण, उद्योग के भीतर एक उप-क्षेत्र है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का विश्लेषण है कि विनिर्माण का उच्च उत्पादन हिस्सा इसकी अत्यधिक बैकवर्ड और फोरवर्ड लिंकेज को इंगित करता है। महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद पिछले दशक में विनिर्माण क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.2% रही है। सेवा क्षेत्र ने पिछले दशक के अधिकांश वर्षों में, वर्ष 2020-21 को छोड़कर, 6% से अधिक की वास्तविक वृद्धि दर दर्ज की। वर्ष 2023-24 में अनुमान सेवा क्षेत्र के लिए 7.6% की वृद्धि दर्शाते हैं।

उद्यमिता

वित्त, प्रौद्योगिकी और विपणन तक पहुँच को सुगम बनाने के साथ-साथ व्यापार को आसान बनाने के लिए उद्यमिता विकास को बढ़ावा मिला है, जो भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में सबसे आगे रहा है। उद्यमी सबसे खराब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अवसरों का लाभ उठाने के लिए जाने जाते हैं; इसका एक उदाहरण वर्ष 2020 से 2022 तक की वैश्विक कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ हैं, जिसने विश्व के एक बड़े हिस्से को कमजोर कर दिया है। लेकिन उद्यमियों ने मौके का फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाई और चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया जैसे कि टीके विकसित करना और वितरित करना, संपर्क रहित होम डिलीवरी के ज़रिए वंचित लोगों तक पहुँचना, घर से काम करने के नए-नए तरीके विकसित करना और कार्यस्थलों पर ऑनलाइन सेवाओं को प्रोत्साहित करना ताकि उपभोक्ताओं और उत्पादकों की कुल लागत को कम करने में मदद मिल सके।

निर्विवाद रूप से, किसी व्यावसायिक उद्यम में उत्पादन का कारक, जो जोखिम और अनिश्चितता को अनिश्चितताओं से निपटता है, 'उद्यमिता' है। किसी उद्यम के फलने-फूलने के लिए उत्पादन के अन्य तीन कारकों, अर्थात् भूमि, श्रम और पूंजी को पोषित करने के अलावा, उद्यमशीलता कौशल को निखारना भी अनिवार्य है। शुम्पीटर की प्रतिस्पर्धी कार्यनीति ने 'सृजनात्मक विध्वंस' की वकालत की, जो नए नवाचार और आविष्कार के माध्यम से निरंतर प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें नए उत्पाद प्रदर्शन, नई प्रक्रियाएँ, नए बाजार, नई प्रौद्योगिकियाँ और संगठनों के नए रूप शामिल हैं।

उद्यमिता के लिए दो आवश्यक शर्तें हैं - व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने में लचीलापन, रचनात्मकता और नवाचार सुनिश्चित करना और ऐसी आर्थिक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना जो उद्यमों को लाभ और विकास के अवसर प्रदान करती हैं। हाल के सर्वेक्षणों में पाया गया है

कि उद्यमशीलता गतिविधि का स्तर सभी क्षेत्रों और आय समूहों में भिन्न होता है, जिसमें लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन क्षेत्र में उद्यमशीलता गतिविधियों का उच्चतम स्तर पाया जाता है, जैसा कि 'ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनीटर, 2024' में दर्शाया गया है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के आय के स्तर के बावजूद उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण मौजूद हो सकता है और भारत तथा चीन के उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में "छोटे निर्माताओं का अधिक औपचारिकीकरण, उनकी आपूर्ति शृंखला की अड़चनों को कम करना, बाजार तक पहुँच को सुगम बनाना और वित्त तक पहुँच में सुधार करना" निर्धारित किया गया है। बजट घोषणाओं या अन्य माध्यमों से हाल ही में सरकार की पहलों ने बिल्कुल इसी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया है। वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वर्गीकृत करने के लिए, संयंत्र और मशीनरी में निवेश और टर्नओवर के दोहरे मानदंड को अपनाने के बाद से, भारत सरकार के उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम सहायता प्लेटफ़ॉर्म पर 4.81 करोड़ उद्यम पंजीकृत हुए हैं। यह सरकार द्वारा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर चलाए गए विशेष औपचारिकीकरण अभियानों का परिणाम है। जबकि इनमें से 30% उद्यम विनिर्माण में हैं, शेष सेवाएं प्रदान करते हैं। पंजीकृत एमएसएमई मिलकर 21 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, औसतन, विनिर्माण में शामिल पंजीकृत एमएसएमई प्रति उद्यम 7 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और व्यापारियों को छोड़कर, सेवाएं प्रदान करने वाले पंजीकृत एमएसएमई प्रति उद्यम 4 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इस पृष्ठभूमि में, बजट 2024 में एमएसएमई, विशेष रूप से श्रम-प्रधान एमएसएमई जो

केन्द्रीय बजट 2024-25

विनिर्माण एवं सेवाएं

एमएसएमई

- एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई
- मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाया जाएगा
- सूचीबद्ध MSMEs को टैक्स प्लेटफ़ॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा
- एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इंटेंसिफ़िकेशन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी
- एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी-मॉड में ई-कॉमर्स नियत केंद्र स्थापित किए जाएंगे

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संवर्धन
MINISTRY OF
MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES

2.33.72.101
नामांकन

15.85.634
सफल पंजीकरण
(as on 20.08.2024)

पीएम
विश्वकर्मा योजना
उद्देश्य : विश्वकर्माओं के
उत्पाद और सेवाओं की
गुणवत्ता और पहुँच बढ़ाना

अधिक जानकारी के लिए देखें
www.pmvishwakarma.gov.in
or
Scan QR Code



विनिर्माण में हैं, पर विशेष ध्यान दिया गया है। एमएसएमई के लिए व्यापक पैकेज में वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी सहायता शामिल है, जिसका उद्देश्य उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

वित्तपोषण

ऋण गारंटी का उद्देश्य ऋणदाता को ऐसे उधारकर्ता जिसकी आमतौर पर कम क्रेडिट रेटिंग होती है और उसके पास कोई संपार्श्विक नहीं हो सकता है, द्वारा की गई चूक के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। इस सिद्धांत के आधार पर, एमएसएमई मंत्रालय ने 5 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 75-85% की गारंटी कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना लागू की है। वर्ष 2000 में योजना के शुरू होने के बाद से, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 7 लाख करोड़ रुपये की 93 लाख से अधिक गारंटी प्रदान की गई है। इस योजना के पूरक के रूप में, बजट 2024 में एक और ऋण गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जो बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के, मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए एमएसएमई को सावधि ऋण की सुविधा देकर विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए होगी। प्रत्येक एमएसएमई आवेदक को दी जाने वाली गारंटी कवरेज 100

करोड़ रुपये तक होगी, हालांकि ऋण राशि बड़ी हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए, अलग से स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि का गठन किया जाएगा।

ऋण पात्रता के पारंपरिक आकलन हमेशा एमएसएमई की क्षमता को समझ नहीं पाते हैं। इस संदर्भ में, डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर एमएसएमई की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एक वैकल्पिक प्रणाली के बारे में बजट की घोषणा एक स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा, एमएसएमई को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में फंसने से रोकने के लिए एक नई व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ताकि वे घाटे में होने पर भी बैंक ऋण प्राप्त करना जारी रख सकें। इससे उनकी वित्तीय तंगी कम होगी। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए छोटे आकार के ऋण, अर्थात् मुद्रा की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है, जो उत्साहजनक है। एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बजट में

ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) पर खरीददारों की टर्नओवर सीमा 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दी गई है। चूंकि एमएसएमई क्षेत्र के लिए टर्नओवर की अधिकतम सीमा 250 करोड़ रुपये है इसलिए इस घोषणा से एमएसएमई से बड़े सभी उद्यम टीआरईडीएस के दायरे में आ जाएंगे।

उद्यमों को अपेक्षाकृत कम लागत पर सामान्य सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने की अवधारणा, पैमाने (स्केल) की अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को प्राप्त करने के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। सिडबी द्वारा 3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख एमएसएमई समूहों को सेवा प्रदान करने के लिए ताकि उन्हें सीधे क्रेडिट प्रदान किया जा सके, नई शाखाएं खोलने की घोषणा से एमएसएमई की एक बड़ी संख्या पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, यह बजट विशेष रूप से खाद्य क्षेत्र में एमएसएमई उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

समग्र दृष्टिकोण

बजट घोषणाओं में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने से लेकर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने तक; उद्योग की कौशल आवश्यकताओं

तालिका-1 : भारत सरकार का व्यय (करोड़ रुपये में)

2022-23 वास्तविक आँकड़े	2023-24 बजट अनुमान	2023-24 संशोधित अनुमान	2024-25 बजट अनुमान
41,93,157	45,03,097	44,90,486	48,20,512

के अनुसार पाठ्यक्रमों की सामग्री को डिजाइन करने से लेकर सरकारी गारंटी वाले ऋण तक; बुनियादी अवसंरचना के विकास से लेकर बैंकिंग नेटवर्क के प्रसार में वृद्धि तक; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोगों को विकसित करने से लेकर दिवाला और दिवालियापन (इन्साल्वन्सी और बैंकरपसी) कोड के तहत आउटकम में सुधार के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच स्थापित करने तक, भूमि सुधार से लेकर श्रम सुधार तक; शहरों को विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने से लेकर मौजूदा शहरों का पुनर्विकास करने तक; शहरी गरीबों की आवास आवश्यकताओं के लिए निवेश करने से लेकर औद्योगिक श्रमिकों के लिए किराये के आवास तक; और 5 वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं की इंटरशिप से लेकर 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करने तक शामिल हैं। इसके अलावा, घोषणाओं में भारतीय शिपिंग उद्योग की हिस्सेदारी में सुधार और अधिक रोजगार पैदा करना; जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना; महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना; साप्ताहिक हाटों का विकास आदि शामिल हैं। वैश्विक मांगों के अनुरूप, बजट में ऊर्जा कुशल विकास के लिए घोषणाएं शामिल हैं।

बजट प्रावधान

वित्तीय परिव्यय, बजट घोषणाओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रहा है। भारत सरकार के बजट प्रावधानों में 2022-23 से 2024-25 तक लगातार वृद्धि हुई है (तालिका-1)। 2024-25 के बजट अनुमान 2023-24 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमानों से क्रमशः 7.0 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत अधिक हैं।

कुल परिव्यय में, कुछ केंद्रीय मंत्रालय/विभाग जो सीधे विनिर्माण और सेवाओं से जुड़े हैं, उनके पास आनुपातिक



रूप से बड़े परिव्यय हैं, जैसे- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (278,000 करोड़ रुपये), रेल मंत्रालय (255,393 करोड़ रुपये), संचार मंत्रालय (137,294 करोड़ रुपये), एमएसएमई मंत्रालय (22,138 करोड़ रुपये), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (21,937 करोड़ रुपये), भारी उद्योग मंत्रालय (7,242 करोड़ रुपये), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (6,455 करोड़ रुपये), वस्त्र मंत्रालय (4,417 करोड़ रुपये), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (3,290 करोड़ रुपये), पर्यटन मंत्रालय (2,480 करोड़ रुपये), बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (2,377 करोड़ रुपये) और इस्पात मंत्रालय (326 करोड़ रुपये)।

निष्कर्ष


उपर्युक्त विवरण बजट प्राथमिकताओं में अपनाए गए 'सम्पूर्ण सरकार' दृष्टिकोण और उसमें निहित कार्य बिंदुओं को स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत चल रही योजनाओं और नई पहलों के संयोजन के उदाहरण भी दिए गए हैं जो सरकार की 'विकसित भारत' के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। बजट घोषणाएं भारत सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहलों में नया उत्साह भरती हैं। बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की घोषणा की गई है। इस दृष्टिकोण की व्यापकता कई रूपों में मौजूद है जो किफायती ऋण, अत्याधुनिक तकनीक और मजबूत बाजार संपर्क तक पहुँच को मजबूत करता है। जैसा कि बजट घोषणाओं से स्पष्ट है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा ठोस प्रयास वांछनीय है।

उद्योग: लघु एवं मध्यम दोनों अपरिहार्य

उत्पादन आयात प्रोत्साहन योजना के तहत प्रगति*

- 128 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश
- निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये बढ़ा
- 10.8 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन/बिक्री
- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 8.5 लाख रोजगार सृजन

बजट के परिप्रेक्ष्य में समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय



*जय प्रकाश पांडे
**राजा पंडित

समावेशी मानव संसाधन विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसका उद्देश्य बाधाओं को दूर करना और देश के सभी नागरिकों को शामिल करते हुए उनकी क्षमता और योग्यता को बढ़ाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। इस लेख में बजट 2024-25 के परिप्रेक्ष्य में समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय के बारे में बात की गई है।

भारत के सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन में युवा वर्ग है जिन्हें पोषित किए जाने की आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था को अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में सहायता मिल सके। समाज के सभी लोगों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया को मानव संसाधन विकास कहा जा सकता है जिसका सीधा असर देश के सामाजिक न्याय और आर्थिक कौशल पर पड़ता है। हालांकि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ा चुका है लेकिन यह अभी भी मानव संसाधन विकास संबंधी महत्वपूर्ण प्रगति की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया में है।

मानव संसाधन विकास की अवधारणा स्वतंत्रता के विस्तार, क्षमताओं में वृद्धि, सभी को समान अवसर प्रदान करने और एक लंबी अवधि वाला स्वस्थ और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के बारे में अधिक है। यह अर्थव्यवस्था

संबंधी धन-संपदा संवर्धन के साथ आर्थिक विकास की धारणा से परे है।

समावेशी मानव संसाधन विकास की अवधारणा

समावेशी मानव संसाधन विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसका उद्देश्य बाधाओं को दूर करना और देश के सभी नागरिकों को शामिल करते हुए उनकी क्षमता और योग्यता को बढ़ाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14-18 में भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। इस अधिकार का दायरा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उपायों से जुड़ा है। समावेशी मानव संसाधन विकास देश के सभी लोगों की क्षमता और उत्पादकता को एकीकृत करने के लिए इस अधिकार का तार्किक विस्तार और अंतिम लक्ष्य हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा

*लेखक शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक रह चुके हैं और वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में अपर सचिव हैं।

ई-मेल : jppandey.irps@gov.in

**लेखक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार में सलाहकार हैं।

में आर्थिक प्रक्षेपवक्र में तेजी आ सकती है।

समावेशी मानव संसाधन विकास को प्राप्त करने के लिए जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं:-

- ✓ गरीबी
- ✓ बेरोजगारी
- ✓ ग्रामीण अवसंरचना
- ✓ वित्तीय समावेशन
- ✓ संतुलित क्षेत्रीय विकास
- ✓ लैंगिक समानता
- ✓ बुनियादी मानव संसाधन जैसे स्वच्छता, पेयजल, आवास आदि।

सरकार ने समावेशी मानव संसाधन विकास के लिए कई कार्यक्रम और नीतियां शुरू की हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:-

- ✓ मनरेगा
- ✓ जन धन योजना
- ✓ जन मन योजना
- ✓ अटल पेंशन योजना
- ✓ कौशल भारत मिशन
- ✓ ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम यशस्वी)
- ✓ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
- ✓ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- ✓ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- ✓ सुकन्या समृद्धि योजना
- ✓ मिशन शक्ति (महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन)
- ✓ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
- ✓ जन औषधि योजना (जेएवाई)
- ✓ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना
- ✓ अल्पसंख्यक छात्रों आदि के लिए नई मंजिल योजना इत्यादि।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाएं डाउनवर्ड फिल्डेशन थ्योरी* पर आधारित थीं जिससे समाज के सभी वर्गों का वांछित रूप से एक समान मानव संसाधन विकास नहीं हो पाया। इसके बाद देश की बदलती आकांक्षाओं के अनुरूप पंचवर्षीय योजनाओं में अनेक परिवर्तन किए गए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास प्रक्रिया से बाहर रह गए लोगों को शामिल करके इस अंतर को कम

* डाउनवर्ड फिल्डेशन थ्योरी का अर्थ है कि सीमित लोगों को पहले शिक्षित कर उनके जरिए शिक्षा को आम जन तक पहुँचाया जाए। 1835 में लार्ड मैकाले ने 'मैकाले मिनट्स' में इस सिद्धांत की शुरुआत की थी।

कर 'समावेशी और त्वरित मानव संसाधन विकास' पर जोर दिया गया।

मानव संसाधन विकास का सामाजिक न्याय के साथ संबंध

सामाजिक न्याय और मानव संसाधन विकास प्रगति के अंतिम लक्ष्य के दो पहलू हैं। सामाजिक न्याय भारतीय लोकतंत्र का मूल है और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखा जा सकता है। यह परिकल्पना की जा सकती है कि सभी को समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। मानव संसाधन विकास, जो सामाजिक न्याय के साथ-साथ चलता है, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने और उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चूंकि मानव संसाधन विकास से कामकाजी जीवन में कई तरह के आर्थिक लाभ सृजित होते हैं।

समावेशी मानव संसाधन विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरण सुविधाओं आदि से संबंधित अवसर सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, पंथ, क्षेत्र, धर्म आदि के हों। समावेशी मानव संसाधन विकास के आधार पर, इसके सफल और सकारात्मक कार्यान्वयन के लिए समानता और सशक्तीकरण आवश्यक और अनिवार्य हैं। ये घटक लोगों की उत्पादक क्षमताओं, मानसिक क्षमता और स्वस्थ जीवन के संबंध में उनके कल्याण के स्तर में सुधार के साथ-साथ लोगों को उपलब्ध विकल्पों को व्यापक बनाने में मदद करते हैं। वे सभी अवसरों तक समान पहुँच के साथ नागरिकों के लिए विकल्पों को बढ़ाते हैं और साथ ही, उन्हें उपयुक्त विकल्प चुनने की पूरी आजादी भी देते हैं।



केन्द्रीय
बजट
2024-25



वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF
FINANCE



समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय

- महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित
- भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली जाएंगी
- राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पोलाव रम मिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा
- विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोय्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी

बजट प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट के प्रावधान के बारे में बताया गया है। बजट सरकार के राजस्व और व्यय का वार्षिक विवरण होता है। इसमें सरकार की पहल और प्राथमिकताओं का उल्लेख होता है और भविष्य के लिए आगे की कार्य प्रणालियाँ भी दर्शायी जाती हैं।

चूँकि नीति निर्माताओं का मुख्य ध्यान मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर है, इसके लिए सभी हितधारकों अर्थात् सरकारी नीतियों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी क्षेत्र और इसके लिए कार्यरत सिविल सोसायटी को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने निरंतर प्रतिबद्धता और निरंतर प्रयासों के लिए सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य रखा है जो अंतर को कम करने और एक कुशल एवं सक्षम कार्यबल के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सरकार ने समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान देने के साथ सामाजिक क्षेत्र के लिए पिछले बजट की तुलना में व्यय परिव्यय में वृद्धि की है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी के लिए पर्याप्त अवसर सृजित करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयासरत रहने की परिकल्पना की गई है:-

- 1) कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
- 2) रोजगार और कौशल विकास
- 3) समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
- 4) विनिर्माण और सेवाएं
- 5) शहरी विकास
- 6) ऊर्जा सुरक्षा
- 7) बुनियादी अवसंरचना
- 8) नवाचार, अनुसंधान और विकास
- 9) भावी पीढ़ी के सुधार

इन 9 प्राथमिकताओं में दूसरी, तीसरी और आठवीं

का मुख्य उद्देश्य समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय से है। केंद्रीय बजट 2024-25 में भी चार प्रमुख समूहों- 'गरीब', 'महिलाएं', 'युवा' और 'अन्नदाता' पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह भारत को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने के लिए मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय की कल्पना का स्पष्ट संकेत है। बजट में मानव संसाधन विकास के हिस्से के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है और किसानों के लिए सहयोग, एमएसएमई, क्षेत्रीय संतुलन और मध्यम वर्ग के लिए सहयोग सामाजिक न्याय की दिशा में कदम हैं।

केंद्रीय बजट 2024-25 में मानव संसाधन विकास सुनिश्चित करने से संबंधित योजना

इस केंद्रीय बजट के अंतर्गत सैचुरेशन अप्रोच के साथ सरकार का लक्ष्य देश के लोगों, विशेष रूप से किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध होना है। सामाजिक न्याय को व्यापक रूप से प्राप्त करने के लिए, सरकार का लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को कवर करने की सैचुरेशन अप्रोच का उपयोग करना है ताकि उनकी क्षमताओं में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाया जा सके। सरकार शिल्पकारों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों और स्ट्रीट वेंडरों की आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए बनाई गई योजनाओं जैसे पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंडअप इंडिया को लागू करने के साथ-साथ आगे बढ़ाएगी। सरकार ने आदिवासी समुदायों और महिला उद्यमियों सहित वंचित समूहों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए सहयोग बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है।

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	बजट अनुमान (2023-2024)	बजट अनुमान (2024-2025)
शिक्षा	112899.47	120627.87
कौशल विकास और उद्यमिता	3517.31	4520
स्वास्थ्य	89155	90958.63
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	12847.02	13000.2
दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण	1225.15	1225.27
जनजातीय मामले	12461.88	13000
महिला एवं बाल विकास	25448.75	26092.19

स्रोत: व्यय प्रोफाइल, केंद्रीय बजट 2024-25 से संकलित

1. शिक्षा

नेल्सन मंडेला के अनुसार, 'शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप विश्व को बदलने के लिए कर सकते हैं'। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सभी तक सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की गई हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता हेतु 73,498 करोड़ का आवंटन किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19.56% अधिक है।

(क) शिक्षा ऋण- हमारे ऐसे युवा, जो सरकारी योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं रह गए हैं, उनकी मदद के लिए सरकार ने घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष सीधे एक लाख छात्रों को ऋण राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे।

(ख) इंटरनशिप के अवसर- यह योजना 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटरनशिप के अवसर उपलब्ध कराती है। सीएसआर फंड के माध्यम से 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता सहित 5,000 रुपये प्रति माह का भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।

(ग) समग्र शिक्षा अभियान- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज्ञान के अनुसार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों का निर्माण करते हुए एसडीजी 4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ जुड़ी नई शिक्षा संरचना, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन पद्धति, विनियमन और शासन के सृजन के लिए समग्र शिक्षा योजना में सुधार किया है।

(घ) पीएम श्री योजना- योजना का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के विज्ञान को वास्तविकता में लागू करना है। इस स्कीम में 14,500 आदर्श स्कूलों के उद्भव पर जोर दिया गया है जो एक समान, समावेशी और ऐसे उत्साहपूर्ण माहौल में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे जिसमें बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें उनकी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा।

(ङ) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उष्ठा) - यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संस्थानों को फंड उपलब्ध कराती है जिसका उद्देश्य अधिक दक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया विकसित करने के लिए राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में पहुँच, समता और उत्कृष्टता के उच्च स्तर को प्राप्त करना है।

केन्द्रीय
बजट
2024-25

विद्युत
MINISTRY OF
FINANCE

रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री का पैकेज: कौशल प्रशिक्षण
को बढ़ावा देना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन और
कौशल विकास कार्यक्रम

- हब और स्पोक व्यवस्था के तहत पाँच साल में 1000 आईटीआई का उन्नयन
- राज्यों और उद्योगों के सहयोग से परिणाम और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा

शीर्ष कंपनियों में इंटरनशिप

- भारत की शीर्ष कंपनियाँ पाँच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी
- पाँच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटरनशिप

2. कौशल विकास

विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए कौशल विकास मानव संसाधन विकास के प्रमुख घटकों में से एक है। 'कौशल भारत' के तहत सरकार का विज्ञान कुशल और उत्पादक कार्यबल तैयार करना है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सके। अनुमानों के अनुसार, 15-59 वर्ष के बीच की बड़ी संख्या में कामकाजी आबादी को औपचारिक या अनौपचारिक कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वैश्विक रूप से और राष्ट्रीय रोजगार बाजार में तेजी से विकसित हो रही मांगों को पूरा करने के लिए भारत में अपने युवाओं को प्रभावी कौशल प्रदान करने की बहुत संभावना मौजूद है। केंद्रीय बजट 2024-25 ने विशेष रूप से इस प्राथमिकता को उजागर किया है और इस प्रकार कौशल पहल के लिए पर्याप्त फंड आवंटित किए गए हैं। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए कौशल कार्यक्रम और कौशल ऋण की शुरुआत की गई है।

(क) कौशल कार्यक्रम- राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से कौशल विकास के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की गई है चूंकि कौशल सृजन समावेशी मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पाँच साल की अवधि में 20 लाख भारतीय युवाओं को कुशल बनाने की योजना है और एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को परिणाम आधारित उन्मुखीकरण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड किया जाना है। पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने की योजना बनाई गई है और उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

(ख) कौशल विकास ऋण- सरकार ने घोषणा की है कि मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकारी प्रवर्तित कोष के माध्यम से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा मिल सके। यह एक ऐसा उपाय है जिससे प्रति वर्ष 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अपनी प्रमुख योजनाओं जैसे पीएम कौशल विकास योजना 4.0, जन शिक्षण संस्थान, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, आकांक्षी कौशल अभियान आदि के माध्यम से न केवल मौजूदा रोजगारों के लिए बल्कि भविष्य में सृजित होने वाली नौकरियों के लिए भी कौशल उन्नयन, नए कौशल का निर्माण और नवीन सोच के माध्यम से देश भर में विभिन्न कौशल विकास प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कौशल विकास के लिए 4520 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

3. रोजगार सृजन

रोजगार सृजन महत्वपूर्ण है ताकि कुशल कार्यबल संसाधनों को आर्थिक विकास के लिए परिवर्तित कर सकें। इस केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में 'रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन' के लिए तीन योजनाओं को लागू करने की परिकल्पना की गई है। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार नियुक्त किए गए कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं को सहायता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

1. योजना क : पहली बार नियुक्त किए गए - इस योजना का उद्देश्य सभी औपचारिक क्षेत्रों के तहत कार्यबल में नए प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन प्रदान करना है। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार

नियुक्त किए गए कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण 3 किस्तों में होगा और यह 15,000 रुपये तक होगा। सरकार ने पात्रता सीमा भी निर्धारित की है जो प्रति माह एक लाख रुपये का वेतन होगा। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।


योजना ख: विनिर्माण में रोजगार सृजन - इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ा है। इसके तहत रोजगार के पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ अंशदान के संबंध में, कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों को सीधे निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले तीस लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना ग: नियोक्ताओं को सहायता - यह नियोक्ता-केंद्रित योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। एक लाख प्रति माह वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगार गिने जाएंगे। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को 2 वर्ष के लिए प्रति माह 3000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।

4. नवाचार और अनुसंधान

केंद्रीय बजट 2024-25 में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है जो भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा के लिए प्रमुख घटकों में से एक है। बजट में अनुसंधान-राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और अन्य निवेश जैसे पहलों की रूपरेखा दी गई है, ताकि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विस्तार किया जा सके और हमारे कृषि और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान को भी आगे बढ़ाया जा सके। ये सभी उपाय नवाचार का एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और भारत को प्रौद्योगिकी तथा सतत विकास में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की सरकार की योजना को दर्शाते हैं।

बजट में सरकार ने बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास को समर्थन देने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध कोष की स्थापना करने की योजना बनाई है, जिसके लिए एक लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करके 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाया जा सके।



5. महिला नेतृत्व विकास

केंद्रीय बजट 2024 में, सरकार ने महिला नेतृत्व विकास के लिए समर्पित और ठोस प्रयासों को दर्शाया है। पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है और 'वात्सल्य' पेंशन योजना जैसी नई पहल शुरू की गई है, जो माता-पिता और अभिभावकों के योगदान के साथ एक अंशदायी पेंशन योजना होगी।

केंद्रीय बजट महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रभावी योजनाओं और बुनियादी अवसंरचना का समर्थन करने पर केंद्रित है। महिला उद्यमियों और कौशल कार्यक्रमों के लिए समर्पित वित्तीय सहायता महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। महिला नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने के लिए, इस केंद्रीय बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। यह आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।


केंद्रीय बजट उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना और क्रेच की स्थापना के माध्यम से, कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी की सुविधा भी देता है। इसके अलावा, इस साझेदारी के माध्यम से महिला विशिष्ट कौशल कार्यक्रम आयोजित करने और महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) उद्यमों के लिए बाजार पहुँच को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने से संबंधित योजनाएं

(क) प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान - आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, हम आदिवासी-बहुल गाँवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए सैचुरेशन कवरेज अपना कर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करेंगे। इसमें 63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा, जिससे पांच करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा।

(ख) पूर्वोदय योजनाएं - बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास, बुनियादी अवसंरचना और आर्थिक अवसरों के सृजन को शामिल करना है, ताकि इस क्षेत्र को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का इंजन बनाया जा सके।

भारत में सामाजिक न्याय के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए ताकि लोगों की भलाई और देश का विकास सुनिश्चित हो सके। इन मुद्दों में गरीबी,



वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

महिला सशक्तीकरण

- महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण प्रदान किया गया
- विगत दस वर्षों में उच्च शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में- 28% की अभिवृद्धि
- विज्ञान प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी चिकित्सा पाठ्यक्रमों के कुल नामांकन में 43 प्रतिशत बालिकाओं की भागीदारी
- 83 लाख स्वयं सहायता समूहों द्वारा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में सहायता प्रदान की जाएगी

स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच की कमी, लैंगिक असमानता और वंचित समुदायों के साथ भेदभाव शामिल हैं। हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, ये मुद्दे विकास और वृद्धि में बाधा बने हुए हैं। सभी हितधारकों अर्थात् सरकार और सिविल सोसायटी संगठनों को एक साथ मिलकर प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है जो गरीबी को कम करने, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बजट प्रावधानों और विभिन्न अन्य पहलों के बल पर हम भारत के सभी लोगों के लिए एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने की उम्मीद कर सकते हैं।

निष्कर्ष

समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास का एक अभिन्न अंग हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर व्यापक सुधार की योजना है। बजट 2024 'विकसित भारत' के विज्ञान को साकार करने हेतु रूपांतरण की अप्रोच से आकर्षक लगता है। इसमें समाज के सभी वर्गों-महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखते हुए समावेशी विकास पर जोर दिया गया है ताकि एक विकसित, आत्मनिर्भर और लचीला राष्ट्र बन सके। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय निश्चित रूप से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे।



उद्योग कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु कार्ययोजना

*बीएस पुरकायस्थ

समय की मांग है कि ग्रामीण कार्यबल को उत्पादक के रूप में जोड़ा जाए और युवाओं को ऐसे कौशल से युक्त किया जाए जो उन्हें रोजगार पाने में मदद कर सकें। केन्द्रीय बजट 2024-25 में इस दिशा में सार्थक कदम उठाए गए हैं।

कई वर्षों से इस बात पर काफी बहस चल रही है कि क्या भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूंजीगत लाभ लेने में सक्षम होगा! देश में 18 से 35 वर्ष की आयु के 60 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं जिनमें से 65 प्रतिशत 35 वर्ष से कम आयु के हैं। बदलती आयु संरचना को देखते हुए, भारत की कार्यशील आयु की आबादी वर्ष 2041 तक बढ़ती रहेगी, जो 2021-31 के दौरान 9.6 करोड़ और 2031-41 के दौरान 4.15 करोड़ बढ़ जाएगी। इस विशाल युवा आबादी के ऊपर दो सवाल मंडरा रहे हैं- क्या उनके पास रोजगार पाने के लिए अपेक्षित कौशल है और क्या ऐसे रोजगार वास्तव में मौजूद हैं। इन सवालों के उत्तर यह निर्धारित करेंगे कि क्या भारत की जीडीपी वर्ष 2047 तक \$30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपेक्षित 7-8% की दर से बढ़ सकती है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में उल्लेख किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ते कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में वर्ष

2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख रोजगार सृजित करने की जरूरत है। वर्ष 2022-23 के अनुमान के अनुसार, भारत का कार्यबल लगभग 56.5 करोड़ था। रोजगार के वितरण से पता चलता है कि 45% से अधिक कार्यबल कृषि में, 11.4% विनिर्माण में, 28.9% सेवाओं में और 13% निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। रोजगार के मामले में कृषि की अत्यधिक उपस्थिति, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है।

हालांकि कोविड-19 महामारी के बाद से वार्षिक बेरोजगारी दर में गिरावट आयी है परंतु युवा बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2022-23 में 10% हो गई है और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है, फिर भी कई लोगों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए कौशल की कमी है। श्रम कार्यबल की भागीदारी वर्ष 2017-18 में 49.8% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 57.9% हो गई है। महिलाओं की श्रम कार्यबल की भागीदारी वर्ष 2017-18 में

*लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। ई-मेल : ideainks2020@gmail.com

23.3% थी जो बढ़कर वर्ष 2022-23 में 37% हो गई है। अनुमान बताते हैं कि 51.25% युवा रोजगार के लिए योग्य माने गए हैं। हालाँकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले दशक में यह प्रतिशत लगभग 34% से बढ़कर 51.3% हो गया है। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उत्पादक रोजगार का सृजन, विकास और समावेशिता, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और जनसांख्यिकीय लाभांश वास्तविकता में दिखाई देगा। समय की मांग है कि बड़े पैमाने पर ग्रामीण कार्यबल को उत्पादक के रूप में नियोजित किया जाए, महिलाओं को अधिक संख्या में श्रमबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा युवाओं को ऐसे कौशल से युक्त किया जाए जिससे उन्हें आसानी से रोजगार पाने में मदद मिल सके।

केंद्रीय बजट 2024-25 में कौशल और रोजगार सृजन के लिए की गई घोषणाओं को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में बड़ी संख्या में युवाओं की प्रतीक्षा को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है जिसमें उद्योग कुशल कार्यबल तैयार करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों की रूपरेखा दी गई है जिसमें रोजगार और कौशल इसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, “इस बजट में हमने विशेष रूप से रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया है।” उन्होंने कहा- “इस वर्ष मैंने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।”

प्रधानमंत्री पैकेज: कौशल विकास को बढ़ावा

प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में, पांच प्रमुख योजनाओं और पहलों की घोषणा की गई है जिन्हें 2 लाख करोड़ रुपये के बड़े केंद्रीय परिव्यय द्वारा सहयोग किया गया है। पूरा पैकेज 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करेगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अपग्रेड करेगा। इन पहलों का उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ाने, महिला कार्यबल की भागीदारी, एमएसएमई को समर्थन और पूंजीगत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन देना है जो सामूहिक रूप से देश के रोजगार परिदृश्य पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन के साथ कौशल

विकास के परिणाम और गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मौजूदा पाठ्यक्रमों को फिर से डिजाइन करने और समीक्षा करने के बाद आईटीआई को हब-एंड-स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड किया जाएगा।

कृषि में आय में स्थिरता के चलते ग्रामीण युवाओं की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है जिससे कई युवा शहरों में नौकरी करने के लिए कृषि छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि कौशल की कमी उन्हें शहरी क्षेत्रों में कम वेतन वाली नौकरियां लेने के लिए मजबूर करती है। अतः उचित कौशल समय की मांग है और बजट का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि युवाओं को उन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाए जिनकी उद्योग को आवश्यकता है। इस प्रकार उन्हें रोजगार योग्य बनाने में एक लंबा रास्ता तय करना होगा। इन कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों से आने वाले आईटीआई कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों के एक बहुत बड़े हिस्से और दूरदराज के युवाओं को आवश्यक कौशल प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जो उन्हें संबंधित उद्योगों में रोजगार तलाशने में मदद करेगा।

बजट में अगले पांच वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसरों की भी घोषणा की गई है जिसमें 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें व्यवसाय और व्यावसायिक कार्यप्रणाली के वास्तविक जीवन आधारित माहौल का अनुभव प्राप्त होगा। तीन रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं का उद्देश्य नियोजितों को कर्मचारियों को रोजगार में प्रवेश देने और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन



केंद्रीय
बजट
2024-25



वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF
FINANCE



रोजगार और कौशल प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री का पैकेज: 'रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन'
के तहत तीन योजनाएँ घोषित

योजना 'क': पहली बार रोजगार पाने वाले

- ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपये तक की तीन किश्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

योजना 'ख': विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

- रोजगार पाने के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोजित दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा

योजना 'ग': नियोजितों को समर्थन

- नियोजितों को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी

टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान करना शामिल है। योजना की रूपरेखा को कारीगरों, शिल्पकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों, एमएसएमई, उद्योग संघों, गैर-सरकारी संगठनों, बैंकों आदि सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 पात्र व्यापार हैं जैसे बढ़ई, नाव निर्माता, कवच निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार (पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला, मोची (चर्मकार)/जूते बनाने वाला/जूता कारीगर, राजभिस्त्री, टोकारी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयल बुनकर, गुड़िया और खिलौने बनाने वाला (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता (मालाकार), धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने के जाल निर्माता- ग्रामीण भारत में अंतर्निहित इन सभी को पारंपरिक कौशलों के रूप में स्वीकार किया गया है। यह योजना उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर लाभार्थियों को औपचारिक एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र में 'उद्यमी' के रूप में शामिल करेगी।

यह योजना ग्रामीण रोजगार क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है क्योंकि इससे अनौपचारिक कार्यबल अपने पारंपरिक ज्ञान को बनाए रखते हुए आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कौशल को उन्नत कर सकता है। यह देखते हुए कि अधिकांश अनौपचारिक श्रमिक स्व-नियोजित हैं या छोटे उद्यम चलाते हैं, उन्हें जमानत-मुक्त 'उद्यम विकास ऋण' जैसी क्रेडिट सहायता वित्तीय रूप से व्यवहार्य इकाइयां स्थापित करने और औपचारिक एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र में उद्यमी बनने में मदद कर सकती है। साथ ही, इनमें से कई व्यापार, पारंपरिक रूप से समाज के वंचित वर्गों द्वारा अपनाए जाते हैं और सरकार का समर्थन उन्हें पुरानी बेड़ियों को तोड़ने और अपने पारंपरिक रोजगार के अवसरों को व्यवहार्य उद्यमशीलता गतिविधियों में बदलने में मदद कर सकता है।

श्रम कल्याण पहलें

बजट में श्रम कल्याण के लिए बड़े सुधार भी प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें ई-श्रम पोर्टल को अन्य प्लेटफार्मों के साथ व्यापक रूप से एकीकृत करना, कौशल आवश्यकताओं, नौकरी की भूमिकाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान की सुविधा प्रदान करना और नौकरी के इच्छुक लोगों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ना शामिल है। यह ई-श्रम को श्रम कल्याण, रोजगार, कौशल आदि के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में स्थापित करने में मजबूती से मदद करेगा। श्रम सुविधा और

समाधान पोर्टलों के पुनरुद्धार से उद्योग अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा और साथ ही, श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ाया जाएगा।

मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये

ग्रामीण रोजगार के लिए फ्लेगशिप स्कीम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, 'मनरेगा' को 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं हालांकि जितने अंतरिम बजट में दिए गए, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से बताया गया है, मनरेगा श्रमिकों को अधिक उत्पादक और आर्थिक रूप से कम तनावपूर्ण उपक्रमों में स्थानांतरित करने की पर्याप्त गुंजाइश है। हमें यह भी याद रखना होगा कि अंतरिम बजट में ग्रामीण रोजगार आवंटन बजट में 60,000 करोड़ रुपये के मूल बजट अनुमान से काफी वृद्धि की गई थी। कृषि में कम मूल्य संवर्धन और विविध तथा स्थानीय खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग भी भारत को कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। कृषि प्रसंस्कृत उत्पादन की कैप्टिव मांग के लिए और भी अधिक अवसर हैं और यह क्षेत्र श्रम, रसद, ऋण और विपणन के लिए मेगा फूड पार्क, कौशल भारत, मुद्रा, एक जिला-एक उत्पाद आदि जैसे कई मौजूदा कार्यक्रमों के बीच तालमेल से लाभ उठा सकता है।

वित्तमंत्री ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के अलावा ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की है। उन्होंने 25,000 ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चरण 4 के शुभारंभ की भी घोषणा की है। ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से दूरदराज के इलाकों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि "हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, क्रमबद्ध और सर्वांगीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को तेज करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना नीतिगत लक्ष्य होगा।"

पूँजीगत व्यय में 11% की उल्लेखनीय वृद्धि करके 11.11 लाख करोड़ करने से निर्माण, परिवहन और रसद जैसे क्षेत्रों में कई रोजगार के अवसर सृजित होने की भी उम्मीद है। इस कदम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प-बेरोजगारी का समाधान होने की उम्मीद है। 100 शहरों में 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने के निर्णय से देश भर में रोजगार के नए अवसर सुनिश्चित होंगे क्योंकि कंपनियां निर्धारित औद्योगिक गलियारों में विनिर्माण केंद्र स्थापित करेंगी और अपनी गतिविधियों का विस्तार करेंगी।

भारत जैसे युवा देश के लिए केयर इकोनॉमी का बहुत महत्व है, जिसमें जनसांख्यिकी और लैंगिक दोनों तरह के लाभ हैं। बढ़ती उम्र की आबादी की भविष्य की देखभाल जरूरतों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में उल्लेख है कि देखभाल कार्य को परिभाषित करना देखभाल को 'कार्य' के रूप में स्वीकार करने की दिशा में पहला कदम है। महिला कार्यबल के लिए केयर वर्क का विशेष महत्व है जिससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलते हैं। बजट में घोषणा की गई है कि सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाएगी और ऐसे क्रेच स्थापित करेगी जिससे अधिक-से-अधिक महिलाएं कार्यबल में भाग ले सकें। इसने अधिक आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है।

इन नए उपायों के अनुरूप, सरकार ने स्थापित कार्यक्रमों के लिए सहयोग जारी रखा है। कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएसडीई) में अंतराल को कम करने, उद्योग की भागीदारी में सुधार करने और प्रशिक्षुता के अवसरों का विस्तार करने की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) ने 2015 से 1.42 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है जिसमें 1,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को कौशल भारत केंद्रों के रूप में एकीकृत किया गया है। 14,955 आईटीआई के साथ शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) दीर्घकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है जिसमें महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में गैर/नव-साक्षर लोगों को लक्षित किया गया है, जिसने वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक 26.36 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें 82% लाभार्थी महिलाएं हैं।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनपीएस) के तहत 32.38 लाख प्रशिक्षुओं को शामिल किया गया है और उद्योग की भागीदारी को बढ़ाया गया है जिससे महिला प्रशिक्षुओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

इस बीच, 30 गीगावॉट सौर क्षमता जोड़ने के उद्देश्य से फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम-सूर्य घर योजना संबंधी पहल का लक्ष्य सौर मूल्य शृंखला में लगभग 17 लाख नौकरियां सृजित करना है।

बजट में विकसित भारत की कार्ययोजना का निर्धारण

पांच वर्ष की अवधि में 41 लाख युवाओं को कौशल और रोजगार की सुविधा प्रदान करने वाली पांच योजनाओं

और शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपये के आवंटन के साथ, बजट में 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने के लिए आवश्यक उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है।

जैसाकि नीति आयोग के 'विकसित भारत@2047' के लिए दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है, भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करना होगा जो अभी 3.36 ट्रिलियन डॉलर है और प्रति व्यक्ति आय जो वर्तमान में 2,392 डॉलर प्रति वर्ष है, को बढ़ाकर 18,000 डॉलर प्रति वर्ष करना होगा। लेकिन उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए ग्रामीण-शहरी आय के अंतर को कम करना अनिवार्य है। कृषि में शामिल कार्यबल को विनिर्माण में स्थानांतरित करने के लिए भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में कई गुना सुधार करना होगा। सरकार देश के रोजगार परिदृश्य पर एक एकीकृत डेटा सेट बनाने पर काम कर रही है जो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगा क्योंकि इससे नीति कार्यान्वयन में कमी की पहचान करने में मदद मिलेगी और कई मंत्रालयों के बीच समन्वय बढ़ेगा। हालांकि रोजगार सृजन की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र पर होगी जबकि सरकार एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाएगी।

यह शायद पहली बार है कि निजी क्षेत्र सरकार की रोजगार सृजन पहलों के केंद्र में है। पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जाना है जो कि ईपीएफओ में पंजीकृत हैं; इससे औपचारिक क्षेत्र को भर्ती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। "पहली बार नौकरी करने वाले को पूरी तरह से उत्पादक बनने से पहले सीखने की अवस्था से गुजरना पड़ता है; वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, "सब्सिडी का उद्देश्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं को फर्स्ट टाइमर्स को हायर करने में सहायता करना है।"

जिस तरह उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार या आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है उसी तरह रोजगार आधारित प्रोत्साहनों में व्यापक विनिर्माण क्षेत्र को बदलने की शक्ति है जिससे यह न केवल एक आर्थिक महाशक्ति बन गया है बल्कि रोजगार सृजनकर्ता भी बन गया है। हालांकि, पिछले दशक में भारत के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ी है- वर्ष 2014 में 34% से बढ़कर वर्ष 2024 में 51% से अधिक हो गई है- अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री के रोजगार और कौशल विकास संबंधी पैकेज में इसे साकार करने की क्षमता है। अब यह निजी क्षेत्र और सरकार पर निर्भर करता है कि वे इसे वास्तविक रूप देने के लिए एक साथ आएँ। □



कृषि हेतु बजट में कल्याण और विकास के बीच संतुलन

-भुवन भास्कर

केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण और कृषि समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए किए गए प्रयासों की गति को बनाए रखने की कोशिश की है ताकि उनकी सड़क, बिजली, आवास और नौकरियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। फिर भी, ग्रामीण विकास और समृद्धि की रीढ़ कृषि को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

अक्सर किसी देश के आम बजट को घर के बजट के समान ही समझा जाता है। इसे आय और व्यय का लेखा-जोखा कहा जाता है। बजट बनाने का उद्देश्य समझाने का यह तरीका बहुत सरल है लेकिन अर्थ के संदर्भ में पर्याप्त नहीं है, खासकर तब जब इसे राष्ट्रीय बजट बनाने के संदर्भ में बताया जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रह जाता है, जो है 'विकास'। मौजूदा खर्चों और आय के हिसाब-किताब के अलावा, बजट में विकास और धन सृजन की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। बजट का विश्लेषण और मूल्यांकन इसी तरह से किया जाना चाहिए। देश में कृषि विकास और किसानों के कल्याण पर इसके प्रभाव के दृष्टिकोण से आम बजट 2024-25 को देखने के लिए भी इसी पैमाने की आवश्यकता है।

इस बजट में समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल

आवंटन 6.2 ट्रिलियन है जो कि कुल राष्ट्रीय बजट 48.2 ट्रिलियन रुपये का लगभग 13% है। इसमें से 1.27 लाख करोड़ रुपये की राशि कृषि मंत्रालय को आवंटित की गई है, जो केंद्र सरकार के कुल वित्तीय व्यय का 2.7% है। वितरण आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार ग्रामीण विकास को अपना अंतिम लक्ष्य मानती है तथा कृषि इसका एक हिस्सा मात्र है। हालांकि, कृषि पर सरकार के फोकस को देखते हुए, यह आश्चर्यजनक लगता है कि कृषि के लिए आवंटन पिछले साल के बराबर ही है। 5 प्रतिशत की वृद्धि वार्षिक मुद्रास्फीति को भी कवर नहीं करती है। हालांकि, आवंटन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल कल्याण और रोजगार सृजन को आगे बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के साथ खाद्य और उर्वरक सब्सिडी

लेखक कृषि विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। ई-मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com

कार्यक्रम आवंटन का दो-तिहाई हिस्सा बनाते हैं। इस बजट में एक उल्लेखनीय बात यह है कि खाद्य और उर्वरक सब्सिडी दोनों में साल-दर-साल गिरावट आई है, जो सरकार की धनराशि का बेहतर उपयोग करने की मशा को दर्शाता है।

ग्रामीण विकास कृषि से आगे तक फैला हुआ है और इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं शामिल हैं। यदि कुल 6.2 ट्रिलियन रुपये का हिसाब लगाया जाए तो खाद्य सब्सिडी जोकि 2,05,250 करोड़ है, इसका लगभग एक तिहाई (30%) खा जाती है। इसके बाद 1,64,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी (24%) है। हालांकि उर्वरक सब्सिडी वित्तवर्ष 2024 के संशोधित अनुमान में 1.88 लाख करोड़ रुपये यानी 13.2 प्रतिशत कम हो गई है, जो अभी भी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के बजट का 97.3 प्रतिशत है। शेष राशि का आधे से थोड़ा कम हिस्सा मनरेगा (12%) और पीएम किसान योजना (9%) के बीच वितरित किया जाता है। बाकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (8%), पीएम ग्राम सड़क योजना (3%), क्रेडिट सब्सिडी (3%), पीएम फसल

बीमा योजना (2%) और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (1%) को गया है। अन्य को 8% मिले हैं।

सूची में यह देखना आसान है कि बजट का अधिकांश हिस्सा, लगभग दो तिहाई, कल्याणकारी परियोजनाओं पर खर्च किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मनरेगा, आवास, सड़क आदि कुछ योजनाओं को प्रोत्साहन दिया गया है। हालांकि, ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने के कारण कृषि को वित्तमंत्री ने 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखकर सही स्थान दिया है। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार पैदावार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान पैकेज की व्यापक समीक्षा करेगी। पिछले कुछ वर्षों में जलवायु संबंधी विकृतियों के बढ़ने के मद्देनजर कृषि अनुसंधान का महत्व कई गुना बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन से कीटों, पौधों की बीमारियों और खरपतवारों का वितरण बदल जाएगा, जिससे फसल की पैदावार कम हो सकती है, जिसमें गेहूं, सोयाबीन और मक्का जैसी प्रमुख फसलों भी शामिल हैं। अधिक तापमान का अर्थ है कीट आबादी के लिए अधिक चयापचय और अधिक प्रजनन चक्र।

आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, किसानों के लिए 32 कृषि एवं बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज देने वाली एवं जलवायु प्रतिरोधी प्रजातियां उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने पहले ही इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने 11 अगस्त, 2024 को 61 फसलों की 109 नई किस्में जारी कीं, जिनमें 34 खेत की फसलों और 27 बागवानी फसलों शामिल हैं। "खेत की फसलों में, विभिन्न फसलों के बीज जिसमें बाजरा, चारा फसलों, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य संभावित फसलों के बीज जारी किए गए। बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागानों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी की गईं। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक वक्तव्य में दी गई।

लेकिन कृषि अनुसंधान के लिए केवल एक प्रतिशत धनराशि आवंटित होने के कारण, कई विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई है कि सरकार जलवायु परिवर्तन के भयावह प्रभाव को किस प्रकार प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। यहां तक कि जैविक खेती के क्षेत्र में भी, जिसकी





चर्चा मोदी सरकार पिछले 4-5 वर्षों से वार्षिक बजटों में करती रही है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विशेषज्ञों को हैरान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, सरकार कुल ग्रामीण बजट का 24% उर्वरक सब्सिडी पर खर्च करती है। उर्वरक सब्सिडी ने पैदावार बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए खाद्य कीमतों को कम करने में मदद मिली है। वर्ष 2022-23 में उर्वरक की खपत 29.84 मिलियन टन (एमएमटी) तक पहुँच गई, जो औसतन 141.2 किलोग्राम/हेक्टेयर है। अब इस बजट में सरकार की योजना अगले दो वर्षों में देशभर के एक करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़ने की है जिन्हें प्रमाणीकरण और प्रमाणन द्वारा समर्थित किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। लेकिन जैविक इनपुट की उपलब्धता, जैविक कृषि को व्यापक स्तर पर अपनाने के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का केवल एक छोटा-सा हिस्सा है। यह बहती नदी की धारा बदलने जैसा है। लेकिन राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत आवंटित 365.64 करोड़ रुपये रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के लिए बहुत कम राशि प्रतीत होती है, जिन पर सब्सिडी के रूप में 1.64 लाख करोड़ रुपये मिल रहे हैं। बजट घोषणाओं से ऐसा लगता है कि भले ही सरकार रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता के प्रति आश्वस्त है, लेकिन वह

खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है।

मोदी सरकार लंबे समय से भारत को दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की आकांक्षा रखती रही है। बजट 2024-25 में इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाया गया है। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी सहित तिलहनों के उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए, सरकार ने उत्पादन, भंडारण और विपणन सुविधाओं में सुधार करने का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में दालों और तिलहनों का उत्पादन करने के लिए एक योजना विकसित की जा रही है, क्योंकि भारत अभी खाद्य तेल के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। प्राथमिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, सब्जी की खेती को उपभोग के महत्वपूर्ण केंद्रों के आसपास केंद्रित किया जाएगा। बड़े पैमाने पर प्रभावी आपूर्ति शृंखला बनाने के लिए इसमें सहकारी समितियों, स्टार्टअप और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को समर्थन देना शामिल है।

अभिनव नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम, जिसने ग्रामीण महिलाओं को कमाने और आगे बढ़ने के अविश्वसनीय अवसर दिए हैं, को बजट 2024-25 में और अधिक प्रभार मिला है। मार्च 2024 से शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देना है ताकि वे उन्हें किसानों को किराए पर दे सकें। इस योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा 2023-26 है। इस पहल के लिए 2024-25 के केंद्रीय बजट में 500 करोड़

रुपये आवंटित किए गए हैं। कृषि प्रौद्योगिकी में नवीनता लाने में उन्हें शामिल करके, यह कार्यक्रम ग्रामीण समुदायों में महिलाओं को सशक्त बनाएगा तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगा। झोन प्रौद्योगिकी द्वारा संभव की गई सटीक कृषि से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी तथा फसल प्रबंधन और उपज अनुकूलन में सुधार होगा।

भारत दुनिया भर में झींगा के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जिसने 2022-23 में 8.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के समुद्री भोजन का निर्यात किया। इन निर्यातों में से अधिकांश निर्यात फ़ोजन झींगा का था, जो 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

सुश्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, “मैं विशिष्ट ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट वर्म्स, झींगा और मछली के चारे पर मूल सीमा शुल्क या बीसीडी को घटाकर 5% करने का सुझाव देती हूँ।” उन्होंने झींगा और मछली फ़ीड के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कई घटकों पर सीमा शुल्क माफ करने का भी सुझाव दिया। इससे पहले, झींगा और फ़ीड मछली के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर 5-30% सीमा शुल्क था, जिसमें क्रिल भोजन, मछली लिपिड तेल, कच्चा मछली का तेल और शैवाल आटा शामिल थे। अब ये शून्य हो जाएंगे।

वित्तमंत्री ने घोषणा की कि झींगा उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के प्रयास में झींगा ब्रूडस्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्त पोषण में मदद करेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार, कृषि क्षेत्र, लम्बे



समय से कम उत्पादकता और अस्थिर बाजार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। कृषि क्षेत्र भारत में कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार देता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन में इसका योगदान सबसे कम है। वर्ष 2022-23 में, कृषि क्षेत्र में लगभग 46% कार्यबल कार्यरत होगा, तथा भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में इसका योगदान 18% होगा। इसका तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र ने अपने 46% कार्यबल द्वारा देश की 18% आय उत्पन्न की। इसके विपरीत, उद्योग क्षेत्र ने 25% कार्यबल को रोजगार दिया तथा GVA में 28% का योगदान दिया, जबकि सेवा क्षेत्र ने 29% कार्यबल को रोजगार दिया तथा GVA में 54% का योगदान दिया। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि सरकार प्रमुख बाधाओं को दूर करने और कृषि समृद्धि का एक नया युग लाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) बनाने की पहल कर रही है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में, वित्तमंत्री ने घोषणा की कि सरकार अगले तीन वर्षों के दौरान कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) एग्री स्टैक शुरू करने की योजना बना रही है। इस वर्ष के दौरान, डीपीआई का उपयोग करके खरीफ के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण 400 जिलों में किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य 6 करोड़ से अधिक किसानों को पंजीकृत करना है, जिनकी भूमि को किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा। इसके अलावा, 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। एग्री स्टैक, एक ओपन सोर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को आगे बढ़ाना और हितधारकों के लिए डेटा को अधिक सुलभ बनाकर किसानों की आय बढ़ाना है। डीपीआई एग्रीकल्चर का उद्देश्य एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को व्यापक सेवाएं प्रदान करना है। यह मंच किसानों को बाजार मूल्यों और वित्तपोषण विकल्पों से लेकर मौसम पूर्वानुमान और मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तक हर चीज पर डेटा-संचालित जानकारी प्रदान करने का दावा करता है। डीपीआई में भारत में कृषि के तरीके को पूरी तरह बदलने की शक्ति है।

सरकार ने सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। इस वर्ष के प्रारंभ में, एक राष्ट्रीय सहयोग नीति विकसित करने के लिए 49 सदस्यीय सरकारी समिति की

स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, कौशल और ज्ञान को संयोजित करने वाले सहयोगात्मक आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, कृषि ऋण संगठनों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु एक **राष्ट्रीय नवाचार कोष** बनाने का प्रस्ताव किया गया। इस नीति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार में तेजी लाना है। सीतारमण ने अपने वित्तीय विवरण के एक भाग के रूप में यह जानकारी दी।

सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रस्ताव दिया है। जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड को पांच राज्यों में लॉन्च किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ेगा। केसीसी की स्थापना 1998 में किसानों को उनकी परिसंपत्तियों के आधार पर कार्ड जारी करने के लिए की गई थी, ताकि बैंकों द्वारा पारस्परिक स्वीकृति मिल सके, ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे कृषि उत्पादों की आसान खरीद के लिए उनका उपयोग कर सकें। और अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए नकदी प्राप्त कर सकते हैं। 2004 में सामाजिक और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए किसानों की निवेश ऋण आवश्यकताओं के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया गया।

2024-25 में **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** (पीएमएफबीवाई) के लिए 14,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के अनुमान से 3% कम है। इस तरह की महत्वाकांक्षी और संवेदनशील योजना के लिए धन की कटौती को समझने के लिए संदर्भ को समझना होगा। इस योजना के तहत किसान खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और कृषि फसलों के लिए 5% का भुगतान करते हैं। सरकार उत्तरी-पूर्वी राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में व्यय का आवंटन स्थानीय प्राधिकारियों को करती है। 2020 में इस योजना को किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया गया। कृषि समिति ने 2023 में सरकार से सवाल किया था कि खराब मौसम की बढ़ती स्थिति और सीमित बजट आवंटन के साथ योजना को कैसे लागू किया जा सकता है। तब सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि यह योजना अनुरोध पर बनाई गई थी। यह भी बताया गया कि मौसम और अन्य पर्यावरणीय मापदंडों पर जानकारी को एकीकृत करने के लिए कई तकनीकी प्रयास किए गए हैं। योजना के कवरेज के आधार पर, संशोधित अनुमान अनुभाग में अतिरिक्त प्रीमियम लागू किया जा सकता है। पिछले चार वर्षों में बीमा राशि 1.8

केंद्रीय बजट 2024-25

कृषि मुख्य बातें

प्रमुख आवंटन :

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़।

नई फसल की किस्में :

- 32 फसलों की 109 अधिक उपज देने वाली, जलवायु-लचीली किस्में पेश की जाएंगी।

प्राकृतिक खेती की पहल :

- 2 साल के भीतर 1 करोड़ किसान प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के साथ प्राकृतिक खेती अपनाएंगे,
- प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) :

- कृषि के लिए डीपीआई 3 वर्षों के भीतर किसानों और उनकी भूमि को कवर करेगा।

किसानों को सशक्त बनाना, उत्पादकता बढ़ाना!



लाख रुपये से 2.8 लाख रुपये के बीच रही है, जिसमें से 8-10 प्रतिशत का भुगतान फसल बीमा दावों के निपटान के लिए किया गया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों को रोपण से पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक किसी भी समय उत्पन्न होने वाले जोखिमों के विरुद्ध पर्याप्त बीमा प्रदान करना है।

संक्षेप में, केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण और कृषि समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए किए गए प्रयासों की गति को बनाए रखने की कोशिश की है ताकि उनकी सड़क, बिजली, आवास और नौकरियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सके। फिर भी, ग्रामीण विकास और समृद्धि की रीढ़ कृषि को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 22 जुलाई, 2024 को संसद में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 में कहा गया है कि कृषि विकास दर में भारी गिरावट आई है, जो 2023-24 में 1.4 प्रतिशत रह गई है, जबकि 2022-23 में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर थी, जिसका मुख्य कारण अल नीनो के कारण देरी और खराब मानसून के कारण खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट है।

हमें अपने किसानों को ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। इन प्रारंभिक उपायों में कृषि में बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए अधिक ध्यान और वितरण शामिल होना चाहिए। कल्याण और वित्त पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे किसान अपनी कृषि में आने वाले संकट के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, बशर्ते इसे अनुसंधान और विपणन संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ संतुलित नहीं किया गया।

बजट में भावी पीढ़ी संबंधी सुधार

-संदीप दास

बजट 2024-25 में वर्ष 2047 तक विकसित भारत का दर्जा हासिल करने के उद्देश्य से वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसे उत्पादन के विभिन्न कारकों को शामिल करते हुए 'भावी पीढ़ी संबंधी सुधारों' के तत्वों की घोषणा की।

हाल ही में संसद में प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि पिछले दशक में भारतीय आर्थिक विकास की कहानी अनुकूलनशीलता (resilience) की कहानी रही है। इसमें उल्लेख किया गया है कि पिछले दशक (2014-2024) में भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करके और अपनी क्षमताओं को मजबूत करके संभावित विकास को बढ़ाने पर फोकस करते हुए व्यापक सुधार कार्य प्रारंभ किए, जो वर्तमान और अमृतकाल में लोगों की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगला चरण यह सुनिश्चित करना है कि इन सुधारों को सही तरीके से लागू किया जाए और इसके लिए राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और

सिविल सोसाइटी के साथ गहन भागीदारी की आवश्यकता होगी।

संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि "आगे बढ़ते हुए, सरकार का ध्यान नीचे से ऊपर की ओर सुधार और शासन की प्रक्रिया को मजबूत करने पर होना चाहिए ताकि पिछले दशक के संरचनात्मक सुधारों से मजबूत, स्थायी, संतुलित और समावेशी विकास हो सके।"

सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2014 से भारत सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को मजबूती से विकास के पथ पर स्थापित किया है और भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। यदि हम पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों के आधार पर कार्य प्रक्रिया जारी रखें

लेखक दिल्ली स्थित पत्रकार हैं। ई-मेल : writerfoodsd@gmail.com

तो मध्यम अवधि में, भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ सकती है। सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2025 की विकास दर 6.5-7% आंकी गई है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके 7% होने का अनुमान लगाया है। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि भारत वर्तमान वित्त वर्ष और 2025-26 में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा जिसमें विस्तार की दरें क्रमशः 7% और 6.5% के आसपास होंगी जो वैश्विक औसत से दोगुनी से भी अधिक हैं। वर्ष 1993 में, भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्य मौजूदा कीमतों पर डॉलर के संदर्भ में \$300 बिलियन से कम था। वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के 3.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

जनवरी 2024 में आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि यदि हम 2014 से किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम कर सकें तो अर्थव्यवस्था के निरंतर आधार पर 7% या उससे अधिक की दर से बढ़ने की व्यापक संभावना है। बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना, दिवालिया और दिवालियापन रूपरेखा बनाना, राष्ट्रव्यापी माल और सेवा कर संस्थाओं और देश के भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार उनमें से कुछ हैं।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है कि भारत विकास को और बढ़ावा देने के लिए भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसे उत्पादन के विभिन्न कारकों को शामिल करते हुए भावी पीढ़ी के सुधारों को शुरू करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे वास्तविक रूप देने के लिए जल्दी ही एक आर्थिक नीति संबंधी रूपरेखा तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार





पूंजी और उद्यमिता सुधार

- वित्तीय क्षेत्र विजन और रणनीति दस्तावेज़ अगले 5 वर्ष के लिए एजेंडा सेट करेंगे
- जलवायु वित्त संबंधी कर प्रावधान जलवायु कार्रवाई के लिए पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाएंगे
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशों में निवेश संबंधी नियमों को आसान बनाया जाएगा, ताकि एफडीआई अंतर्प्रवाह बढ़ सके और विदेशों में निवेश के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को मुद्रा के रूप में बढ़ाया जा सके।

“कुल कारक उत्पादकता में सुधार लाने और असमानता को कम करने के एक प्रवर्तक के रूप में” प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेगी। वित्तमंत्री ने कहा है कि ये सुधार सहकारी संघवाद मॉडल के माध्यम से राज्यों के साथ घनिष्ठ सहयोग में किए जाएंगे।

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा, “देश का विकास राज्यों के विकास में निहित है” और अधिकारी भी यह मानते हैं कि इनमें से कई सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और आम सहमति बनाने की आवश्यकता है।

आर्थिक नीति रूपरेखा का प्रस्ताव करते हुए, वित्तमंत्री ने घोषणा की थी कि “सरकार उत्पादन के कारकों की उत्पादकता में सुधार लाने और बाजारों तथा क्षेत्रों को और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से सुधारों की शुरुआत करेगी और प्रोत्साहित करेगी।” ये सुधार उत्पादन के सभी कारकों - भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी को कवर करेंगे। इसमें प्रतिस्पर्धा संघवाद को बढ़ावा देना और सुधारों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना भी शामिल होगा और साथ ही, 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्धारित करने का प्रस्ताव भी किया गया। केंद्रीय बजट में भूमि, पूंजी और उद्यमिता, जलवायु वित्त, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी निवेश और परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना के क्षेत्र में कई सुधारों का प्रस्ताव रखा गया है।

भूमि संबंधी सुधार

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाईयों में भूमि प्रशासन, योजना एवं प्रबंधन, शहरी





अगली पीढ़ी के सुधार

- प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की रफ्तार को बढ़ाएंगी
- जन विश्वास विधेयक 2.0 कारोबार करने में आसानी को और बेहतर बनाएगा
- राज्यों को कारोबार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन और डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
- डेटा प्रबंधन और शासन को बेहतर बनाने के लिए सेक्टर-वार डेटाबेस
- एक समिति नई पेंशन योजना की समीक्षा करेगी, ताकि वित्तीय विवेकशीलता को बनाए रखने के साथ प्रारंभिक मुद्दों का समाधान किया जा सके

नियोजन, उपयोग तथा भवन उपनियम शामिल होंगे। इन्हें उचित वित्तीय सहायता के माध्यम से अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्रामीण भूमि संबंधी प्रस्तावित कार्रवाई में सभी भूमि के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार का आवंटन, कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप-विभाजनों का सर्वेक्षण, भूमि रजिस्ट्री की स्थापना और किसानों की रजिस्ट्री से लिंक करना शामिल होगा। ये उपाय ऋण प्रवाह और अन्य कृषि सेवाओं को भी सुविधाजनक बनाएंगे।

इस बीच, किसानों का डेटाबेस विकसित करने के लिए, कृषि मंत्रालय ने एक डिजिटल रजिस्ट्री बनाने का काम शुरू कर दिया है जिसमें 90 मिलियन से अधिक किसानों को एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी, जो भूमि रिकॉर्ड, आधार से जुड़ी होगी। किसानों की डिजिटल रजिस्ट्री बनाने का कदम सरकार के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है जो किसानों को कई योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। विशिष्ट आईडी में किसानों की भूमि जोत, खेत में उगाई गई फसलों और अन्य विवरण होंगे ताकि सरकार के लिए सीधे नकद लाभ, स्वीकृत ऋण, फसल बीमा और फसल की उपज का अनुमान लगाना आसान हो जाए। किसानों का डिजिटल डेटाबेस विकसित करने की कृषि मंत्रालय की पहल कर्नाटक के फल किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली (FRUITS)* सॉफ्टवेयर पर आधारित है, जो स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और राज्य की डिजिटल रजिस्ट्री का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

सुधार एजेंडे के तहत शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों

को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अद्यतनीकरण और कर प्रशासन के लिए एक आईटी आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।

श्रम सुधार

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार श्रमिकों को रोजगार और कौशल विकास सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगी। ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ व्यापक एकीकरण इस तरह के वन-स्टॉप समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। तेजी से बदलते श्रम बाजार, कौशल आवश्यकताओं और उपलब्ध रोजगार भूमिकाओं के लिए ओपन आर्किटेक्चर डेटाबेस और नौकरी के इच्छुक लोगों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए एक प्रणाली इन सेवाओं में शामिल की जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा, “उद्योग और व्यापार हेतु अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नया रूप दिया जाएगा।”

श्रम सुविधा पोर्टल 2014 में शुरू किया गया था जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले चार प्रमुख संगठनों- मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को सेवाएं प्रदान करता है। पोर्टल की मुख्य विशेषताओं में श्रम प्रशासन में प्रभावी, कुशल और वास्तविक समय (रियल टाइम) के सुशासन के लिए विशिष्ट पहचान अर्थात् श्रमिक पहचान संख्या (एलआईएन) का आवंटन, ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली और ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट भरने के माध्यम से श्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना शामिल है। यह पोर्टल अनुपालन की जटिलता को कम करने हेतु कई श्रम कानूनों के लिए सामान्य ऑनलाइन पंजीकरण और स्व-प्रमाणित और सरलीकृत एकल ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से भी संबंधित है।

‘समाधान’ पोर्टल को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत श्रमिकों, नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों द्वारा औद्योगिक विवादों को दर्ज करने की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। इसमें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत श्रमिकों द्वारा दावों के मामले दर्ज करने की सुविधा भी है। श्रमिक, ट्रेड यूनियन और प्रबंधन चौबीसों घंटे कभी भी पोर्टल, उमंग ऐप पर



केन्द्रीय
बजट
2024-25



वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF
FINANCE



भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाइयां

- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भू-प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवनों से संबंधित उप-नियम में सुधार
- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जमीनों को अनन्य भूखंड पहचान संख्या दी जाएगी
- ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पंजीकरण कार्यालय स्थापित किए जाएंगे

*Fruits Farmer Registration & Unified Beneficiary Information System

लॉग इन करके और अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपने विवाद और दावे दर्ज करा सकते हैं। यह आईटी मामलों की ट्रेकिंग और निपटान की सुविधा भी प्रदान करता है।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार और निवेश प्रोत्साहन

अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार वित्तीय क्षेत्र के विज्ञान और कार्यनीति संबंधी दस्तावेज लाएगी ताकि आकार, क्षमता और कौशल के मामले में क्षेत्र को तैयार किया जा सके। यह अगले पांच वर्षों के लिए एजेंडा निर्धारित करेगा और सरकार, नियामकों, वित्तीय संस्थानों और बाजार सहभागियों के काम का मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा, वित्तमंत्री ने घोषणा की कि, “हम जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु जलवायु वित्त के लिए एक टेक्सोनॉमी (वर्गीकरण) विकसित करेंगे। इससे देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं और ग्रीन ट्रांजिशन की उपलब्धि में सहयोग मिलेगा।”

भावी पीढ़ी के सुधार के तहत, सरकार विमानों और जहाजों के पट्टे के वित्तपोषण के लिए एक कुशल और लचीला तरीका प्रदान करने हेतु आवश्यक विधायी अनुमोदन की मांग करेगी और एक ‘वेरिबल कंपनी संरचना’ के माध्यम से निजी इक्विटी के पूल किए गए फंड का उपयोग करेगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाया जाएगा ताकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाया जा सके, प्रामाणिकता को बढ़ावा दिया जा सके और विदेशी निवेश के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये का उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

पेंशन सुधार

वित्तमंत्री सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ‘वात्सल्य’ के अंतर्गत नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की योजना शुरू की जाएगी जिससे उनके वयस्क होने पर इस योजना को सामान्य एनपीएस खाते में आसानी से बदला जा सकेगा। सरकार ने कहा है कि एनपीएस की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा, “एक समाधान विकसित किया जाएगा जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों का समाधान करेगा।”

प्रौद्योगिकी को अपनाना और ईज ऑफ इडिंग बिजनेस

सरकार ने पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में सुधार और असमानता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। डिजिटल बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश और



केन्द्रीय
बजट
2024-25



वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF
FINANCE



श्रम सुधार

- ई-श्रम पोर्टल को दूसरे कई पोर्टल के साथ वन स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान के लिए एकीकृत किया जाएगा; इसमें ऐसी व्यवस्था शामिल होगी, जो नौकरी चाहने वालों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदान करने वालों के साथ जोड़ेगी
- उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को सुगम बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का नवीकरण किया जाएगा

निजी क्षेत्र द्वारा नवाचारों ने सभी नागरिकों, विशेष रूप से आम लोगों की बाजार संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में मदद की है। सरकार ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाने का प्रस्ताव किया है। ‘ईज ऑफ इडिंग बिजनेस’ को बढ़ाने के लिए सरकार जन विश्वास विधेयक 2.0 पर काम कर रही है। संसद में जुलाई, 2023 में पारित जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में कुल 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस कानून का उद्देश्य आपराधिक प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने में योगदान देना और यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक, व्यवसाय और सरकारी विभाग मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास के डर के बिना काम करें। इसमें कहा गया है कि किए गए अपराध के दंडात्मक परिणाम की प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए।

वित्तमंत्री ने घोषणा की कि राज्यों को उनकी व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डेटा गवर्नेंस, संग्रहण, प्रसंस्करण और डेटा तथा सांख्यिकी के प्रबंधन में सुधार के लिए, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत स्थापित किए गए विभिन्न क्षेत्रीय डेटा बेस का उपयोग प्रौद्योगिकी उपकरणों के सक्रिय उपयोग के साथ किया जाएगा।

संक्षेप में, सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु भूमि, श्रम, पूंजी और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सहित उत्पादन के कारकों में भावी पीढ़ी के संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत करना चाहती है। □



भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना

-मंजुला वाधवा

2024-25 का बजट सरकार की कार्ययोजना है जिसके तहत अगले पांच वर्षों में भारत के विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यह 'आत्मनिर्भर' और 'विकसित' भारत के लिए सर्वाधिक मजबूत आधारशिला रखता है। बजट को 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के 'मंत्र' और 'सबका प्रयास' संबंधी समग्र राष्ट्र दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बजट 2024-25 'गरीब', 'महिलाओं', 'युवा' और 'अन्नदाता' (किसान) के उत्थान पर केंद्रित है। इस बजट में अन्य कार्यों के साथ-साथ ग्रामीण मांग, बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन जैसे कई क्षेत्रों में समाधान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए आधार का निर्माण किया जा सके- जिसमें उपभोग और खर्च को बढ़ावा देने पर समग्र ध्यान केंद्रित करके इसे सुदृढ़ बनाया जाए।

सरकार द्वारा चिह्नित नौ प्राथमिकता क्षेत्रों के साथ यह विकसित भारत के लिए एक संतुलित और कार्यनीतिक कार्ययोजना प्रदान करके अपने विज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह बजट कृषि, व्यापार और उद्योग, रोजगार सृजन, विनिर्माण, ऊर्जा, स्थायी और समावेशी

मानव संसाधन विकास, नवाचार, बुनियादी ढांचे के विकास और कर सुधारों में लचीलापन लाने के अपने स्पष्ट फोकस के साथ, समावेशी विकास को आगे ले जाते हुए और लंबे समय तक उपभोग को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था में सहयोग करने के सरकार के स्पष्ट दृष्टिकोण पर जोर देता है।

केंद्रीय बजट ग्रामीण भारत पर फोकस है- जो इसकी 65% आबादी को शक्ति प्रदान करता है और जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था की जो परिकल्पना की गई है, वह ग्रामीण भारत में बदलाव पर निर्भर करती है। यह केवल विकास को बनाए रखने के बारे में नहीं है बल्कि बहुमुखी रणनीतियों के माध्यम से अप्रयुक्त क्षमता के विकास के लिए नीतियों, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और

लेखिका नाबार्ड में उप महाप्रबंधक रह चुकी हैं। ई-मेल : manjula.jaipur@gmail.com

तकनीकी प्रगति को प्राथमिकता देने के माध्यम से परिवर्तन को आगे बढ़ाने के विषय में है ताकि समग्र और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे - ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह को जोड़ने वाले कॉरिडोर और अधिक यातायात वाले कॉरिडोर। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी रहेगा। पारगमन-उन्मुख विकास की भावना से मेट्रो और नमो भारत प्रणालियों का विस्तार किया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारत के ग्रामीण बाजारों में धीरे-धीरे मांग में सुधार के कुछ आशाजनक संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बजट के माध्यम से ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं- व्यापार, उद्योग और उद्यमिता का समाधान किया जा सके ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान की जा सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण कार्यबल में नए प्रवेशकों के लिए रोजगार से जुड़ी योजनाओं की घोषणा के साथ ही उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक की ऋण सहायता यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण भारतीयों की भावी पीढ़ी व्यापार और उद्योग से संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से कुशल हो। इसके अतिरिक्त, भारत में शीर्ष 500 कॉरपोरेट्स के साथ इंटरशिप के अवसरों से 10 मिलियन से अधिक भारतीय युवाओं को लाभ मिलेगा जो सरकार द्वारा की जा रही एक प्रभावशाली पहल है जिससे विशेष रूप से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आय और उचित विकास सुनिश्चित होगा।

ग्रामीण भारत का लचीलापन, विशेष रूप से महामारी और भू-राजनीतिक संघर्षों के खराब समय के दौरान, स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय रहा है। कृषि, जो ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार है, ने पिछले चार वर्षों में औसतन 4.4% की स्थिर वृद्धि दर्शायी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट पिछले वर्ष के 1.57 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है जो लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि है। हालांकि, संशोधित अनुमानों की तुलना में, मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय की मध्य वर्ष

समीक्षा जो 1.71 लाख करोड़ रुपये रही, तीन प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2025 में, सरकार को अपने कुल बजट का 5.58% ग्रामीण विकास पर खर्च करने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 में हिस्सेदारी 5.32% (संशोधित अनुमान) से बढ़ाई गई है। पिछले वित्त वर्ष से वृद्धि के बावजूद, आवंटन हिस्सेदारी 6% के स्तर को पार नहीं कर पाई जैसा कि वित्त वर्ष 2018, वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 में हुआ था। वर्ष 2024-25 के लिए फ्लैगशिप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटन 86,000 करोड़ रुपये किया गया है जो पिछले बजट में प्रदान किए गए 60,000 करोड़ रुपये से लगभग 43 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, संशोधित अनुमान से पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष में इस योजना पर व्यय 86,000 करोड़ रुपये था जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किए गए आवंटन के बराबर है।

वास्तव में, यह केवल विकास को बनाए रखने के विषय में नहीं है बल्कि इसे बदलने के विषय में है। यह परिवर्तन एक बहुआयामी कार्यनीति अर्थात् बुनियादी ढांचे पर आधारित विकास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि पूंजीगत व्यय के लिए बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपये के आवंटन को देखते हुए, व्यापारियों, व्यावसायियों और उद्योगपतियों ने आशा और आशावाद की एक एकीकृत भावना व्यक्त की है, जिससे बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा

₹ केन्द्रीय
बजट
2024-25



वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF
FINANCE



अवसंरचना

- पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान, जो हमारी जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा
- राज्यों को उनके अवसंरचना निवेश में सहायता के लिए 1.5 लाख करोड़ के दीर्घावधि ब्याज रहित ऋण का प्रावधान
- पीएमजीएसवाई* का चरण IV 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क मुहैया कराएगा
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कोसी-मेची अंतरराज्यीय लिंक जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ उपलब्ध कराएगी
- असम और हिमाचल प्रदेश को बाढ़ प्रबंधन के लिए तथा उत्तराखंड और सिक्किम को बादल फटने, फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन के कारण होने वाली हानी से निपटने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी

*प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

बजट की प्राथमिकताएँ

चतुर्दिक समृद्धि एवं सशक्त विकास का पथ



कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन	रोजगार एवं कौशल	समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय
विनिर्माण एवं सेवाएँ	शहरी विकास	ऊर्जा संरक्षण
अवसंरचना	नवाचार, अनुसंधान एवं विकास	नई पीढ़ी के सुधार

मिलने की उम्मीद है।

दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों के बीच बजट का कार्यनीतिक संतुलन काफी सराहनीय लगता है। रोजगार सृजन और कौशल विकास पहलों के लिए पर्याप्त रूप से जोर दिए जाने की संभावना जताई गई है ताकि वैश्विक स्तर पर ग्रामीण और शहरी कार्यबल की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर बेरोजगारी को भी दूर किया जा सके। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश केवल निर्माण तक ही सीमित नहीं है; यह आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन की एक शृंखला को प्रज्वलित करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) जैसी पहल का उद्देश्य सड़क संपर्क को बढ़ाना है जो बाजार पहुँच, आवाजाही और समग्र ग्रामीण विकास की आधारशिला है। इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आवास की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है और निर्माण संबंधी रोजगार का सृजन होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों को बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराना है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण स्वच्छ और सुलभ जल उपलब्ध कराने पर फोकस करता है साथ ही, जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के अंतर्गत रोजगार सृजन भी करता है। वर्तमान वित्त वर्ष में इन कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित

बजट वृद्धि, ग्रामीण उत्थान में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका की स्पष्ट स्वीकृति है। व्यापार-तकनीक (ट्रेड-टेक) जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण पूंजीगत व्यय का विस्तार व्यापार और उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में एक कदम है जो उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, कौशल विकास कार्यक्रम ग्रामीण कार्यबल को पारंपरिक खेती और अकुशल ट्रेडों से कहीं आगे अवसरों की एक व्यापक शृंखला के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक हैं। ये कार्यक्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता पर फोकस कर सकते हैं जिससे ग्रामीण आबादी उभरते रोजगार बाजार और प्रौद्योगिकीय प्रगति के अनुकूल ढल सके। कोई भी नियोक्ता अकुशल व्यक्तियों को रोजगार नहीं देना चाहता। सरकार रोजगार की समस्या का समाधान करना चाहती है लेकिन भारत में

मुद्दा यह है कि अधिकांश ग्रामीण युवा बेरोजगार हैं। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, बजट दस्तावेज़ में तीन महत्वपूर्ण उपायों का सुझाव दिया गया है: (i) अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा (ii) 1,000 आईटीआई को परिणाम-उन्मुख बनाया जाएगा (iii) तकनीकी पाठ्यक्रमों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं केवल अल्पकालिक रोजगार के विषय में नहीं हैं बल्कि वे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की नींव रखती हैं। सड़क, निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर बजट में रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इन परियोजनाओं का एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा जिससे ग्रामीण समुदायों के बीच सतत आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के लिए तत्परता बढ़ेगी। रोजगार और कौशल विकास की पांच योजनाओं का उद्देश्य 5 वर्षों की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगे और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को मान्यता देने के साथ-साथ कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

1. योजना कः पहली बार नियुक्त किए गए

यह योजना सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी नए व्यक्तियों को एक महीने का

वेतन प्रदान करेगी। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा जो 15,000 रुपये तक होगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

2. योजना ख: विनिर्माण में रोजगार सृजन

इस योजना का उद्देश्य पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करना है। रोजगार के पहले 4 वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के आधार पर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे एक निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना से रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

3. योजना ग: नियोक्ताओं को सहायता

यह नियोक्ता-केंद्रित योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को उनके ईपीएफओ अंशदान के अनुसार 2 वर्षों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।

4. राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से केंद्र प्रायोजित योजना

इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आउटकम ओरिएंटेशन के साथ हब और स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। पाठ्यक्रम की सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा और उभरती आवश्यकताओं के लिए नए पाठ्यक्रम लाए जाएंगे। मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन किया जाएगा ताकि सरकार द्वारा प्रवर्तित कोष से गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा दी जा सके। इस उपाय से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।

5. शीर्ष कंपनियों में इंटरशिप के अवसर की योजना

सरकार 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटरशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी। उन्हें 12 महीने तक वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल, विभिन्न व्यवसायों और रोजगार के अवसरों का

अनुभव मिलेगा। युवाओं को 5,000 रुपये प्रति माह का इंटरशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। कंपनियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने सीएसआर फंड से प्रशिक्षण लागत और इंटरशिप लागत का 10 प्रतिशत वहन करें।

उच्च शिक्षा में योजनाएं

सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं रहे युवाओं की मदद के लिए घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष सीधे एक लाख छात्रों को ई-वाउचर दिए जाएंगे जिस पर ऋण राशि का 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान मिलेगा। बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान- राष्ट्रीय अनुसंधान कोष का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा, अंतरिम बजट में घोषणा के अनुरूप एक लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा।

आगे बढ़ते हुए, भारत में, 95 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से संबंधित हैं जो सभी औद्योगिक उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन करती हैं। इसलिए, तार्किक रूप से यह क्षेत्र विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजित कर सकता है। वर्तमान बजट में (i) विनिर्माण में ऋण गारंटी योजनाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिसके परिणामस्वरूप छोटे व्यवसायों के लिए



आर्थिक सर्वेक्षण
2023-24



अवसंरचना: संभावित वृद्धि को बढ़ाना

गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के निर्माण के रास्ते पर निरंतर चलते रहने के लिए क्या करना जरूरी है

- निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषण की उच्च स्तर पर और नए स्रोतों से संसाधनों को लगाने की जरूरत है
- केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों से नीति और संस्थागत समर्थन की जरूरत है
- एक ऐसे सूचकांक का निर्माण करना जो अवसंरचना सुविधाओं की उपयोगिता दर को ट्रैक करे और उप-क्षेत्रों पर प्रकाश डाले जहां आपूर्ति की अधिकता या कोई कमी है
- अवसंरचना केंद्रित वित्तीय प्रवाह संबंधी सूचना को संग्रहण करने की एक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है
- भौतिक प्रगति संबंधी परियोजना-वार और क्षेत्र-वार सूचना की समीक्षा करने की जरूरत है



अधिक निधियां उपलब्ध होनी चाहिए (ii) ऋण देने के लिए एक नया मूल्यांकन मॉडल (एमएसएमई वित्तपोषण चुनौतियों का समाधान करने का एक नया तरीका); और (iii) दिवालियापन के मुद्दों का तेजी से समाधान करने के लिए अतिरिक्त विधिक माध्यम(विंडो) हैं। यदि एमएसएमई फंडिंग को सुलझाया जा सकता है तो यह एक बड़ा रोजगार बूस्टर साबित होना चाहिए। इस बजट में, सरकार ने एमएसएमई को एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता के रूप में मान्यता देते हुए, उन्हें ऋण प्रदान करने, उचित प्रशिक्षण प्रदान करने और उनके लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि वे विकासोन्मुखी बने रहें। इसके आने से एमएसएमई क्षेत्र को कर राहत प्रदान करने और उनके विकास में तेजी लाने के लिए डिजाइन किए गए महत्वपूर्ण कर सुधारों और अनुपालन परिवर्तनों की एक शृंखला सामने आई। यह कदम कर ढांचे और एमएसएमई अनुपालन तंत्र को सरल बनाने और क्षेत्र को राहत प्रदान करने की दिशा में निर्णायक कदम है। इस क्षेत्र के लिए आवंटन पिछले वर्ष प्राप्त हुए 22,137.95 करोड़ के बराबर है, हालांकि ग्रामीण उद्योग, कॉयर क्षेत्र, क्लस्टर विकास बजट आवंटन में कुछ वृद्धि दर्शाते हैं। विकास और रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का पैकेज भी ग्रामीण समुदायों के लिए उम्मीदें जगाता है। वित्तपोषण के अवसरों का बेहतर ढंग से उपयोग करने और एंजल टैक्स को समाप्त करने की पहल से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा

मिलने, विविध निवेश आकर्षित होने और अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान को मजबूत करने तथा भविष्य के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण होने की उम्मीद है।

अगर हम बजट में अंतर्निहित सर्वोत्तम बातों पर एक नजर डालें तो काफी कुछ हैं:-

- i निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
 - ii सौर ऊर्जा का बजट 5000 करोड़ रुपये से दोगुना होकर 10000 करोड़ रुपये हो गया।
 - iii फार्मा पर पीएलआई 1200 करोड़ रुपये से तकरीबन दोगुना होकर 2100 करोड़ रुपये हो गया जो चाइनीज घटकों (एपीआई) के आयात से जोखिम कम करने की दिशा में एक कदम है।
 - iv सेमी कंडक्टर विकास आवंटन 3000 करोड़ रुपये से दोगुना से भी अधिक 6900 करोड़ रुपये हो गया जो निश्चित रूप से नए युग का कदम है।
 - v वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1000 करोड़ रुपये; शहरी डिजिटल मिशन 115 करोड़ रुपये, कठिन क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए ई-बसें 1300 करोड़ रुपये, रक्षा उपकरण निर्माण उद्योग 40000 करोड़ रुपये, नौसेना बेड़े के लिए 4000 करोड़ रुपये आदि।
- ऐसे उद्यमियों जिन्होंने पहले ही ऋण ले लिया है और उसे चुका दिया है उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य दो करोड़ से



बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया है। डीएवाई-एनआरएलएम के तहत आने वाली 'लखपति दीदी' पहल के तहत प्रत्येक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) परिवार को मूल्य शृंखला पहलों के साथ-साथ कई आजीविका गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष एक लाख रुपये या उससे अधिक की स्थायी आय होती है।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका के लिए आवंटन 15,047 करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वर्ष के 14,129.17 करोड़ रुपये से लगभग छह प्रतिशत अधिक है। योजना के लिए संशोधित अनुमान भी 14,129.17 करोड़ रुपये है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें तब तक सहायता प्रदान करना है जब तक कि वे समय के साथ आय में सराहनीय वृद्धि प्राप्त नहीं कर लेतीं।

खाद्य प्रसंस्करण में स्वयं सहायता समूहों को ऋण

हालांकि एमएसएमई को ऋण की सुविधा के बारे में अभी तक विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन छोटे व्यवसायों को दिए जा रहे प्रोत्साहन और कर लाभों के मिश्रण में, ऋण को आसानी से सुलभ बनाने की दिशा में सरकार के प्रयास स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के माध्यम से 2.4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों और 60,000 व्यक्तियों को ऋण लिंकेज से लाभ हुआ है। इस तरह की नीतियां स्वाभाविक रूप से उन्हें एक मजबूत आधार बनाने और योजनाबद्ध तरीके से बढ़ने में सक्षम बनाएंगी।

डिजिटल रूपांतरण

बजट 2024 समावेशी विकास, नवाचार और शासन सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर देता है। डिजिटल इंडिया, भारत नेट और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसी पहलों को प्राथमिकता दी गई है जिसका उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है जो आईसीटी के इस युग में व्यापार और उद्योग के विस्तार की पूर्व आवश्यकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश विकास के नए रास्ते खोलने, उत्पादकता बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

संक्षेप में, ग्रामीण भारत की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़



अवसंरचना: संभावित वृद्धि को बढ़ाना

यूहद अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण में बढ़ता सार्वजनिक क्षेत्र निवेश

- ▶ एन एच निमग्न की औसत गति तीन गुना बढ़कर वित्त वर्ष 14 के 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन से वित्त वर्ष 24 में 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंची
- ▶ पिछले पांच वर्षों में टेलवे का पूंजीगत व्यय 77 प्रतिशत बढ़ा
- ▶ वित्त वर्ष 24 में 21 हवाई अड्डों में नए टर्मिनल भवन परियोजनाओं में आने से यात्री आवागमन क्षमता में प्रतिवर्ष 6.2 करोड़ यात्रियों की वृद्धि हुई
- ▶ जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन बढ़कर 14.89 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा (78.12 प्रतिशत)



मजबूत कर सकती है। यह फोकस न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अनुकूलनशीलता बढ़ाने के विषय में है बल्कि एक अधिक स्थायी और समावेशी विकास प्रक्षेपवक्र का मार्ग प्रशस्त करने के बारे में भी है। जैसा कि हम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं को समझते हैं, समृद्ध भारत का मार्ग स्पष्ट रूप से इसके गाँवों और खेतों से होकर जाता है। यह बजट नीतिगत उपायों, संसाधन आवंटन और संस्थागत सुधारों के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से, चुनौतियों को दूर करने और भारत के आर्थिक परिदृश्य में निहित अवसरों का सदुपयोग करने का प्रयास करता है। जैसा कि राष्ट्र समावेशी समृद्धि और अनुकूलनशीलता की एक परिवर्तनकारी यात्रा की ओर अग्रसर है, इस परिदृश्य में यह बजट एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो भारत को प्रगति, समता और अवसर आधारित भविष्य की ओर ले जाता है। विस्तृत श्रेणी के हितधारकों के ठोस प्रयासों से भारत स्थिरता, समावेशिता और नवाचार के सिद्धांतों पर आधारित एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी क्षमता का एहसास कराने के लिए तैयार है। वर्तमान बजट एक वित्तीय वक्तव्य से कहीं अधिक होने की उम्मीद है, कई पहलों के लिए बजट में से सबके लिए छोटी-छोटी सहायता दी गई है। अंततः रोजगार सृजन मुख्य सरोकार होगा। आइए, अब प्रतीक्षा करें और देखें कि चीजें किस तरह आकार लेती हैं!

इस संदर्भ में, प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी वर्गीज कुरियन ने कितनी सटीक बात कही है:-

“भारत के ग्रामीण लोगों की बुद्धिमत्ता और इसके पेशेवरों के कौशल के बीच साझेदारी से भारत का नाम रोशन होगा।”



प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

ई-रिसोर्स एग्रीगटर (ईआरए)

के एम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित

सरकार के प्रतिष्ठित
प्रकाशन संस्थान से जुड़ने
और उसके ई-प्रकाशनों के
विक्रय का सुनहरा अवसर



प्रमुख लाभ :-

- प्रकाशन विभाग की लोकप्रिय ई-पुस्तकें और ई-पत्रिकाएं उपलब्ध कराने का अवसर।
- प्राप्त राजस्व में 30% की निश्चित हिस्सेदारी।
- किसी निवेश की आवश्यकता नहीं।
- मात्र 2000 रुपये का फंजीकरण शुल्क।

अधिक जानकारी के लिए देखें -
www.publicationsdivision.nic.in

संपर्क करें

फोन : 011 24365609

ईमेल : businesswng@gmail.com

पता : व्यापार स्कंध, कमरा संख्या-758, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

SUBSCRIPTION FORM

Tick (✓) appropriate column

Print version Plans

6 months	<input type="checkbox"/>	Rs. 265/-	()
1 year	<input type="checkbox"/>	Rs. 530/-	()
2 Year	<input type="checkbox"/>	Rs. 1000/-	()
3 Year	<input type="checkbox"/>	Rs. 1400/-	()

E-version Plans

6 months	<input type="checkbox"/>	Rs. 200/-	()
1 year	<input type="checkbox"/>	Rs. 400/-	()
2 Year	<input type="checkbox"/>	Rs. 750/-	()
3 Year	<input type="checkbox"/>	Rs. 1050/-	()



- () **Employment News**
() **Rozgar Samachar-Hindi**
() **Rozgar Samachar-Urdu**

Demand Draft/Cheque should be in favour of 'Employment News'. Attach original copy of Demand Draft/Cheque with the form

Please fill all the details in CAPITAL Letters

Name: _____

Postal Address: _____

Pin Code: _____

Landline Ph.: _____ Mobile: _____

Email Id: _____

Send the filled form to:


Employment News,
Room No. 783, 7th Floor,
Sochna Bhawan,
Lodhi Road, New Delhi-110003

For daily updates:

➔ www.employmentnews.gov.in
www.rozgarsamachar.gov.in

Online payment facility is also available for both plans.

Scan & Pay



✂ @Employ_News

f @EmploymentNews

🌐 www.eneversion.nic.in



THESTUDYIAS



सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच

हिन्दी माध्यम 26 अगस्त | अंग्रेजी माध्यम 12 सितंबर
ऑनलाइन एवं ऑफलाइन



बेसिक फाउंडेशन

(एनसीईआरटी + मुख्य
विषयों के सार)

की व्यापक समझ

विषयों की 'Inter-Subject'
तथा 'Intra-Subject' लिंकिंग

कैसे पढ़ें और लिखें?

किसी बड़े उत्तर को संक्षेप
में कैसे लिखें?



एडवांस फाउंडेशन

यूपीएससी (प्रारंभिक परीक्षा +
मुख्य परीक्षा) की व्यापक कवरेज
टेस्ट के माध्यम से

अभ्यास तथा अनुप्रयोग

अद्वितीय शिक्षण प्रणाली

(इसमें टॉपिक एवं टॉपिक तथा
विषय एवं विषय के बीच सम्बन्ध)

जीएस मंथन: सामान्य अध्ययन
की साप्ताहिक यात्रा



सुपर एडवांस स्टेज

मुख्य परीक्षा उन्मुख गहन
उत्तर लेखन

अंतर्संबंधों के साथ मूल्य संवर्धन
(अंतर्संबंधित दृष्टिकोण
का एकीकरण)

निबंध लेखन
(लक्षित अभ्यास)

मणिकांत सर एवं उनकी टीम



एल.वी. तिवारी सर

कुमार अरुण सर

सौरभ जैन सर

रोहित लोहा सर

मणिकांत सिंह सर

अतुल गर्ग सर

आर.पी. सिंह सर

गौरव वंसल सर

मणिकांत सर द्वारा इतिहास वैकल्पिक बैच

16 अगस्त

मणिकांत सर के 32+ वर्षों के अनुभवी मार्गदर्शन ने छात्रों को

उच्चतम अंक प्राप्त करने में सहायता की है!

अपनी यूपीएससी की यात्रा पूरी करने हेतु सभी चरणों पर समग्र कवरेज प्राप्त करें

703, IN FRONT OF BATRA CINEMA, MUKHERJEE
NAGAR, DELHI - 110009

7002070025